बाल संरक्षण

पर

मध्यप्रदेश राज्य–स्तरीय बहु–हितधारक परामर्श

“विमर्श”

विधि का उल्लंघन करने वाले बालक :
रोकथाम, पुनर्स्थापनात्मक न्याय(रिस्टोरेटिव जस्टिस), और अपयोजन (डायवर्जन) एवं अभिरक्षा के विकल्प

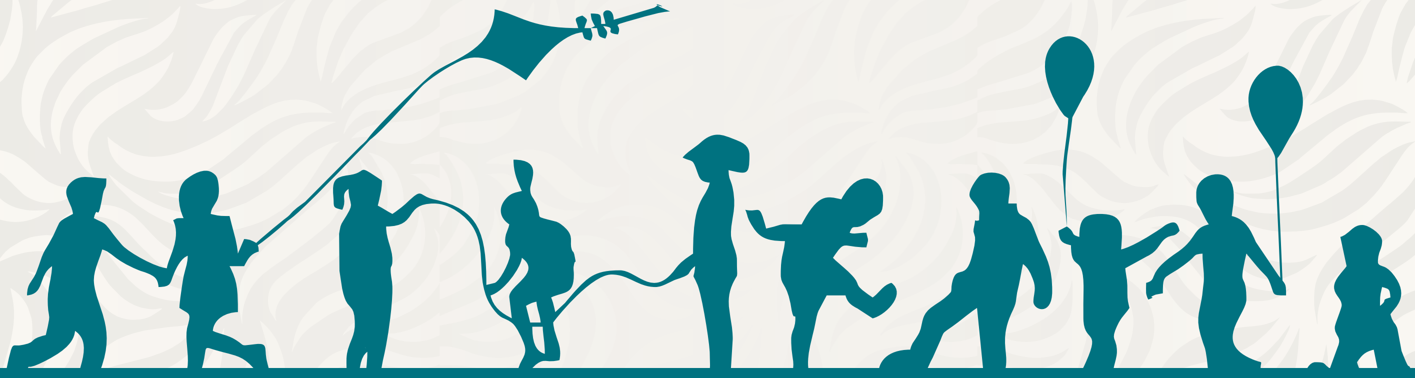

बाल संरक्षण

पर

मध्यप्रदेश राज्य–स्तरीय बहु–हितधारक परामर्श

“विमर्श”

26 & 27 अगस्त 2023

कार्यक्रम स्थल :

मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर

अनुक्रमणिका

विमर्श का अवलोकन		**1**
	पृष्ठभूमि	1
	प्रतिभागियों की प्रोफाइल	1
	उद्घाटन सत्र की मुख्य बातें	2
	परामर्श की रूपरेखा	4
I.	**"मंथन" में तय किए गए प्रमुख कार्य क्षेत्रों में प्रगति**	**6**
II.	**विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से जुड़ी मुख्य प्रगति**	**8**
III.	**चुनौतियां और विचार (रिफ्लेक्शन)**	**11**
3.1.	बालकों द्वारा कारित अपराध की रोकथाम	11
3.2.	पुलिस की भूमिका को केन्द्रित करते हुए अपयोजन (डायवर्जन), अभिरक्षा के विकल्प और गैर–अभिरक्षा वाले विकल्प	12
3.3.	पुनर्वास और पुनर्स्थापनात्मक पहल (प्रैक्टिस)	13
3.4.	विधिक एवं अन्य उचित सहायता सहित निष्पक्ष सुनवाई और बाल हितैषी प्रक्रियाओं का अधिकार	16
3.5.	आपराधिक जिम्मेदारी की न्यूनतम उम्र (एमएसीआर) और आपराधिक वयस्कता की उम्र (प्रारंभिक निर्धारण)	18
IV.	**आगामी कार्य योजना**	**21**
4.1	सामान्य उपाय	21
4.2	बालकों द्वारा कारित अपराध की रोकथाम	22
4.3	पुलिस की भूमिका को केन्द्रित करते हुए अपयोजन (डायवर्जन), अभिरक्षा के विकल्प और गैर–अभिरक्षा वाले विकल्प	24
4.4	पुनर्वास और पुनर्स्थापनात्मक पहल (प्रैक्टिस)	25
4.5	विधिक एवं अन्य उचित सहायता सहित निष्पक्ष सुनवाई और बाल हितैषी प्रक्रियाओं का अधिकार	27
4.6	आपराधिक जिम्मेदारी की न्यूनतम उम्र (एमएसीआर) और आपराधिक वयस्कता की उम्र (प्रारंभिक निर्धारण)	28
V.	**केन्द्रित क्षेत्रों में आशाजनक पहल (प्रॉमिसिंग प्रैक्टिसेस)**	**30**
5.1	बालकों द्वारा कारित अपराध की रोकथाम	30
5.2	पुलिस की भूमिका को केन्द्रित करते हुए अपयोजन (डायवर्जन), अभिरक्षा के विकल्प और गैर–अभिरक्षा वाले विकल्प	30
5.3	पुनर्वास और पुनर्स्थापनात्मक पहल (प्रैक्टिस)	30
5.4	विधिक एवं अन्य उचित सहायता सहित निष्पक्ष सुनवाई और बाल हितैषी प्रक्रियाओं का अधिकार	33
5.5	आपराधिक जिम्मेदारी की न्यूनतम उम्र (एमएसीआर) और आपराधिक वयस्कता की उम्र (प्रारंभिक निर्धारण)	34
परिशिष्ट 1 –	**दो दिवसीय "विमर्श" कार्यक्रम का एजेंडा**	**35**
परिशिष्ट 2 –	**राज्य कार्य योजना 2023–27 का अवलोकन**	**41**
परिशिष्ट 3 –	**विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की परिस्थिति का विश्लेषण**	**44**
फोटो गैलरी		**57**

विमर्श का अवलोकन

पृष्ठभूमि

किशोर न्याय समिति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश शासन एवं यूनिसेफ–भोपाल के सहयोग से 26–27 अगस्त, 2023 को जबलपुर स्थित मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी में बाल संरक्षण पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय बहु–हितधारक परामर्श "विमर्श" का आयोजन किया। परामर्श मुख्य रूप से विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों पर केन्द्रित था, जिसमें बालकों द्वारा कारित अपराध की रोकथाम, पुनर्वास, पुनर्स्थापनात्मक न्याय, अपयोजन एवं गैर–अभिरक्षा के उपाय, आपराधिक जिम्मेदारी की उम्र, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार और बाल हितैषी प्रक्रियाओं के विषय शामिल थे। सितंबर 2023 में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय हितधारक बैठक के आठवें संस्करण की तैयारी के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय एवं बाल कल्याण समिति के मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए इस राज्य स्तरीय परामर्श का आयोजन किया गया था। विमर्श के निम्न उद्देश्य थे –

1. 2022 में पॉक्सो पर आयोजित पिछले वार्षिक विमर्श की प्रगति और उसमें तय प्रमुख कार्य क्षेत्रों की प्रगति की मैपिंग करना।
2. विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों और बालकों के लिए न्याय के संबंध में हुई कार्रवाई, प्रगति और प्रमुख चुनौतियों का जायजा लेना।
3. आशाजनक पहल (प्रॉमिसिंग प्रैक्टिसेस) का दस्तावेजीकरण करना।
4. विशेष प्राथमिकता वाली कार्रवाई योग्य सिफारिशों की पहचान करना, जो बालकों के लिए न्याय को सुदृढ़ करने हेतु एक कार्य योजना बनाएगी।

चुनौतियों को समझने और विभिन्न जिम्मेदार पदाधिकारियों द्वारा अपनाई गई आशाजनक पहल का दस्तावेजीकरण करने के लिए एनफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट, बैंगलोर की सहायता से एक ऑनलाइन प्री–कंसल्टेशन सर्वेक्षण प्रारूप तैयार किया गया था। किशोर न्याय समिति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से अनुमोदन के बाद इस प्रारूप को किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट एवं सदस्यों, बाल न्यायालयों के पीठासीन न्यायाधीशों, विधिक–सह–परिवीक्षा अधिकारियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और संप्रेक्षण गृहएवं सुरक्षित स्थान के अधीक्षकों को भेजा गया था। 152 पदाधिकारियों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। किशोर न्याय बोर्ड के 42 प्रधान मजिस्ट्रेट्स एवं 47 सदस्यों, बाल न्यायालय के 23 पीठासीन न्यायाधीशों, 31 विधिक–सह–परिवीक्षा अधिकारी, 08 संप्रेक्षण गृह और 01 सुरक्षित स्थान की प्रतिक्रियाएं इसमें शामिल थीं। प्री–कंसल्टेशन सर्वेक्षण ने उन मुद्दों, चुनौतियों और संभावित समाधानों की पहचान करने में सहायता की, जिन्हें दो दिवसीय विमर्श में सामने आए मुद्दों के साथ इस रिपोर्ट में दर्ज किया गया है।

प्रतिभागियों की प्रोफाइल

विमर्श में 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें गृह विभाग (पुलिस मुख्यालय प्रशिक्षण शाखा, अपराध जांच विभाग,

महिला सुरक्षा शाखा, साइबर क्राइम शाखा), महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, विधि और विधायी कार्य विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और यूनिसेफ के वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रतिनिधि शामिल थे।

साथ ही जिला स्तर के हितधारकों ने भी परामर्श में भाग लिया, जिसमें बाल न्यायालय के न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि, किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट एवं सदस्य, नोडल अधिकारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, विधि–सह–परिवीक्षा अधिकारियों, संप्रेक्षण गृह एवं सुरक्षित स्थान एवं विशेष गृह के अधीक्षक, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, बाल कल्याण समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्य, परामर्शदाता, जिला विधिक सहायता अधिकारी, मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स, सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

उद्घाटन सत्र की मुख्य बातें

माननीय मुख्य अतिथि, श्री न्यायमूर्ति रवि मलिमठ, मुख्य न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने संबोधन की शुरुआत बालकों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण दोनों को शामिल करते हुए बाल संरक्षण की समझ पर जोर देकर की। उन्होंने पदाधिकारियों से बालकों के मानसिक कल्याण पर ध्यान केन्द्रित करने का आग्रह किया और कहा कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के उद्देश्यों को सुनिश्चित किए बिना इसे हासिल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि अपराध की रोकथाम की दिशा में यह एक प्रभावी कदम है। इसके साथ ही उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता की कमी, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े पूर्वाग्रहों पर काबू पाने और राज्य में मानसिक स्वास्थ्य देखरेख प्रोफेशनल्स की कमी की समस्याओं का आकलन करने की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाया। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 पर केन्द्रित 2022 की वार्षिक बैठक 'मंथन' के दौरान भी इस मुद्दे पर जोर दिया गया था। इस मुद्दे से निपटने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश ने स्कूलों में अंशकालिक आधार पर कुशल थेरेपिस्ट की नियुक्ति का सुझाव दिया, क्योंकि इससे मानसिक स्वास्थ्य सहायता हासिल करने वाले बालकों के लिए माता–पिता को अधिक उत्तरदायी होने में मदद मिलेगी। उन्होंने जरूरत के समय पर एवं प्रभावकारी काउंसलिंग के साथ–साथ बालकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखरेख तक उनकी पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

माननीय श्री न्यायमूर्ति आनंद पाठक, न्यायाधीश एवं सदस्य, किशोर न्याय समिति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने बाल संरक्षण प्रणाली से जुड़े पदाधिकारियों में संवेदनशीलता बढ़ाने की बात की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि, 'एक बच्चा एक जीवन है, न कि केवल प्रक्रिया के लिए एक फाइल'। उन्होंने एक नई शुरुआत की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाया। बाल संरक्षण को समाज की जिम्मेदारी के रूप में भी मानते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि बालकों की शैक्षणिक, विधिक और अन्य जरूरतों को किसी भी तरह से पूरा करने की दिशा में समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को कदम उठाना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में समुदाय–आधारित पहल की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। अंत में उन्होंने प्रतिभागियों से बालकों के लिए रोल मॉडल बनने का आग्रह किया और कहा कि बाल संरक्षण एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उचित संसाधनों को एकत्रित किया जाना चाहिए और उनका उपयोग किया जाना चाहिए।

डॉ. राजेश राजोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने इस बात पर जोर दिया कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के मुद्दे, विशेष रूप से मध्यप्रदेश में बहुत ही जरूरी हैं, क्योंकि एनसीआरबी आंकड़ों के अनुसार देश में बालकों द्वारा कारित कुल अपराध की सबसे अधिक घटनाएं राज्य में ही होती हैं। मध्यप्रदेश में बालकों द्वारा कारित अपराध की दर 19.8 प्रति 1 लाख व्यक्ति है, जो कि राष्ट्रीय औसत 7 प्रति 1 लाख से तीन गुना अधिक है। उन्होंने बताया कि यह जरूरी है कि तकनीक के बढ़ते उपयोग, सोशल मीडिया के संपर्क और गरीबी एवं बेरोजगारी, जो बालकों द्वारा कारित अपराधों में वृद्धि में योगदान दे रही है, से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक नीतिगत रणनीति तैयार की जाए। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछली बैठकें विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों सहित बाल संरक्षण से संबंधित मुद्दों से निपटने में सहायक रहे हैं। इस संबंध में उठाए गए कुछ प्रयासों में – पुलिस स्टेशनों में बाल हितैषी स्थान स्थापित करना, राज्य भर में बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों और विशेष किशोर पुलिस इकाइयों के लिए निरंतर प्रशिक्षण, सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और विशेष किशोर पुलिस इकाई के लिए संदर्भ शर्तें, लापता बालकों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के साथ बातचीत करते समय सभी पुलिस अधिकारियों को वर्दी में नहीं रहने के निर्देश, 1680 पुलिस स्टेशनों एवं चौकियों में 14470 कैमरे लगाना, रीवा एवं रतलाम में दो नई फोरेंसिक साइंस लैब स्थापित करने की चल रही परियोजनाएं और विशेष किशोर पुलिस इकाई स्टाफ एवं बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को 03 साल से पहले स्थानांतरित नहीं करने के दिशा–निर्देश शामिल हैं।

सुश्री मार्गरेट ग्वाडा, सीएफओ, यूनिसेफ ने बालकों की जरूरतों को प्राथमिकता देने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय और किशोर न्याय समिति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने UNCRC में निहित सिद्धांतों पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक बालक को एक नई शुरुआत करने का अधिकार है। उन्होंने बताया कि बालकों को अपराध की ओर धकेलने वाले कारकों पर हुए कई वैश्विक अध्ययन बालकों की भावनात्मक, शारीरिक और विकासात्मक कमजोरियों को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। उन्होंने बाल संरक्षण प्रणाली के माध्यम से बालकों के सभी अधिकारों को समझने और बालकों को अपराध की ओर धकेलने वाले अंतर्निहित मूल कारणों का समाधान करने का आग्रह किया। उन्होंने इस संदर्भ में विचार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिनमें मिशन वात्सल्य में परिकल्पित वल्नेरेबिलिटी मैपिंग, सुभेद्य परिवारों के लिए कल्याणकारी सहायता, बालक की खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए परिवार को सुदृढ़ीकरण करने वाले कार्यक्रम, मजबूत परिवीक्षा का विकास, पर्यवेक्षण, पुनर्स्थापन पहल, अपयोजन कार्यक्रम, कार्यबल की क्षमता को मजबूत करना और रिक्तियों को भरने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति शामिल हैं।

श्री समरेश सिंह, सचिव, किशोर न्याय समिति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने इस बैठक का परिचय दिया। उन्होंने प्रतिभागियों एवं गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि 'विमर्श' विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से संबंधित मुद्दों पर केन्द्रित है। उन्होंने बताया कि विमर्श की संरचना पांच तकनीकी सत्रों में विभाजित है – (1) बालकों द्वारा कारित अपराध की रोकथाम, (2) अपयोजन, अभिरक्षा के विकल्प एवं गैर–अभिरक्षा वाले विकल्प, (3) पुनर्वास एवं पुनर्स्थापनात्मक पहल, (4) विधिक एवं अन्य उचित सहायता सहित निष्पक्ष सुनवाई तथा बाल हितैषी प्रक्रियाओं का अधिकार और (5) आपराधिक जिम्मेदारी की न्यूनतम उम्र एवं आपराधिक वयस्कता की उम्र (प्रारंभिक निर्धारण)। प्रत्येक सत्र के बाद खुली चर्चा भी की गई। उन्होंने प्रतिभागियों को बाल संरक्षण के संबंध में वर्तमान स्थिति पर विचार करने, नवाचारी उपायों को साझा करने और मध्य प्रदेश के लिए कार्य योजना बनाने में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया।

परामर्श की रूपरेखा

परामर्श को सर्वोच्च न्यायालय की समिति द्वारा साझा किए गए मार्गदर्शक नोट के आधार पर डिजाइन किया गया था, जिसमें दो दिनों में पांच विषयों पर केन्द्रित तकनीकी सत्र शामिल थे। **परिशिष्ट–1** में एजेंडा को दिया गया है।

पहले दिन 'बालकों द्वारा कारित अपराध की रोकथाम' पर सत्र की अध्यक्षता **माननीय श्री न्यायमूर्ति आनंद पाठक, सदस्य, किशोर न्याय समिति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय** ने की। इस सत्र में **श्री अमिताभ अवस्थी, संयुक्त संचालक, व्यक्तिगत देखरेख योजना (महिला एवं बाल विकास विभाग)** ने पुनर्वास सेवाओं, चुनौतियों और अनुशंसा

पर प्रस्तुति दी और **श्री जी.पी. सिंह, विशेष पुलिस महानिदेशक, सीआईडी, पुलिस मुख्यालय, भोपाल** ने मध्यप्रदेश में बालकों द्वारा कारित अपराध की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत किया। **सुश्री स्वागता राहा, निर्देशक–अनुसंधान, इनफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट** ने राज्य में विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के आंकड़ों पर एक विश्लेषण प्रस्तुत किया और **डॉ. विनीत कपूर, एआईजी एंड प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर टू डीजीपी, पुलिस मुख्यालय, भोपाल** ने भोपाल पुलिस की बालकों द्वारा कारित अपराध की रोकथाम से जुड़ी पहलों को प्रस्तुत किया।

'अपयोजन, अभिरक्षा के विकल्प और गैर–अभिरक्षा वाले विकल्प' पर अगले सत्र की अध्यक्षता **माननीय श्री न्यायमूर्ति आनंद पाठक, सदस्य, किशोर न्याय समिति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय** ने की। **सुश्री अर्लीन मनोहरन, सह–निदेशक, रिस्टोरेटिव प्रैक्टिसेस, इनफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट** ने रोकथाम के उपायों पर प्रस्तुति दी। **सुश्री स्वागता राहा, निदेशक–अनुसंधान, एनफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट** ने अपयोजन, पुनर्स्थापनात्मक पहल, अभिरक्षा के विकल्प पर प्रस्तुति दी। **एडवोकेट फादर डॉ. एंथोनी सेबेस्टियन, एको** ने पुनर्वास और पुनर्स्थापनात्मक पहल पर प्रस्तुति दी। प्रतिभागियों के साथ सत्र के विषय से संबंधित चुनौतियों और समाधानों पर एक खुली चर्चा के बाद दोनों सत्रों का समापन किया गया।

दूसरे दिन, 'विधिक एवं अन्य उचित सहायता सहित निष्पक्ष सुनवाई और बाल हितैषी प्रक्रियाओं का अधिकार' विषय पर सत्र की अध्यक्षता **माननीय श्री न्यायमूर्ति जी.एस. अहलूवालिया, सदस्य, किशोर न्याय समिति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय** ने की। **सुश्री स्वागता राहा, निदेशक–अनुसंधान, एनफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट** ने निष्पक्ष जांच के अधिकार पर प्रस्तुति दी। सत्र के अंत में प्रतिभागियों के साथ एक खुली चर्चा की गई।

'आपराधिक जिम्मेदारी की न्यूनतम उम्र और आपराधिक वयस्कता की उम्र (प्रारंभिक निर्धारण)' पर आयोजित अगले सत्र की अध्यक्षता **माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक अग्रवाल, न्यायधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय** ने की। **एडवोकेट अनंत अस्थाना** ने आपराधिक जिम्मेदारी की उम्र पर प्रस्तुति दी और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार पर भी संक्षेप में बात की।

समापन सत्र में 'विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए न्याय : मध्यप्रदेश के लिए रोडमैप, मुख्य कार्य बिंदु' विषय पर चर्चा की गई, जिसकी अध्यक्षता **माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती अनुराधा शुक्ला, न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय** ने की और इस सत्र के विशेषज्ञ पैनल में **सुश्री स्वागता राहा, सुश्री अर्लीन मनोहरन एवं एडवोकेट अनंत अस्थाना** शामिल थे। तकनीकी सत्रों के अंत में प्रत्येक विषय के तहत चुनौतियों और कार्रवाई के लिए सुझावों पर प्रतिभागियों के बीच एक परस्पर संवाद के साथ खुली चर्चा की गई। खुली चर्चा में व्यापक भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिभागियों को अज्ञात रूप से अपने विचार व्यक्त करने में मदद करने के लिए एक ऑनलाइन मंच ''**पैडलेट**'' का उपयोग किया गया था। प्रत्येक सत्र के पैडलेट लिंक तक पहुंचने के लिए विमर्श के एजेंडा शीट में क्यूआर कोड और लिंक दिए गए थे। प्रतिभागियों ने पैडलेट में पूछे गए प्रश्नों के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए अपने फोन का उपयोग किया था, जो सभी प्रतिभागियों द्वारा देखा जा सकता था।

विमर्श के दौरान निकल कर आई प्रगति, चुनौतियां एवं संभावित समाधान, प्री–कंसल्टेशन सर्वेक्षणों, पैडलेट के माध्यम से ली गई प्रतिक्रियाओं और किशोर न्याय समिति के साथ नोडल विभागों द्वारा साझा किए गए आंकड़ों का विवरण निम्नलिखित खंडों में दिया गया है।

[II]
''मंथन'' में तय किए गए प्रमुख कार्य क्षेत्रों में प्रगति

1.1 राज्य कार्य योजना 2023–27 (एसएपी) को बनाने के बाद उसे अपनाना

किशोर न्याय समिति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के सचिवालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, विभिन्न अन्य हितधारक विभागों और यूनिसेफ को शामिल करते हुए एक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से एक राज्य कार्य योजना को विकसित किया गया था। अंतिम राज्य कार्य योजना को जुलाई 2023 में किशोर न्याय समिति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की त्रैमासिक बैठक में सभी हितधारक विभागों के साथ सर्वसम्मति से पारित किया गया। राज्य कार्य योजना में **प्रमुख कार्य बिंदुओं की समीक्षा के लिए मापने योग्य संकेतक रखे गए हैं एवं उसके लिए समय सीमा तय की गई है;** संबंधित विभागों की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों का वर्णन है; अतिरिक्त हितधारकों के रूप में शहरी विकास एवं आवास विभाग तथा युवा कल्याण विभाग को शामिल किया जाना; बाल विवाह, बाल श्रम, यौन शोषण के शिकार एवं बेघर बालकों से संबंधित कार्य बिंदुओं को शामिल किया जाना और बाल संरक्षण प्रणाली में समुदाय की भूमिका को मजबूत करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। राज्य कार्य योजना 2023–2027 का अवलोकन करने के लिए परिशिष्ट–2 देखें।

1.2 महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहल :

- ❖ यौन शोषण सहित बालकों के विरुद्ध किसी भी तरह की हिंसा की रोकथाम के लिए हरदा, बैतूल, नर्मदापुरम और रायसेन में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में **शौर्या दल और शौर्या दीदी** नाम से एक पहल शुरू की गई।
- ❖ **इंदौर में स्थापित सामुदायिक मध्यस्थता केंद्रों** ने अपने समुदायों में उत्पन्न होने वाले वैवाहिक विवादों को सुलझाने के लिए सराहनीय प्रदर्शन किया। समुदाय की इस भूमिका को कमजोर बालकों की सहायता के लिए बढ़ाया गया। इस प्रकार, 22 समुदायों ने कमजोर बालकों, देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बालक, विधि का उलंघन करने वाले बालकों के पुनर्वास के लिए मौजूदा किशोर न्याय प्रणाली का समर्थन करने के लिए जिला–इंदौर में सामुदायिक सहायता केंद्र स्थापित किए हैं।
- ❖ **सहयोगी व्यक्तियों (सपोर्ट पर्सन) का रिसोर्स पूल बनाया गया है** और नियुक्ति, जिम्मेदारी, मानदेय और उनकी जवाबदेही पर दिशानिर्देश विकसित किए जा रहे हैं।
- ❖ मनो–सामाजिक सहायता प्रदान करने वाले, दुभाषिए, अनुवादक एवं विशेष शिक्षक जैसे विशेषज्ञों की पहचान की जा रही है, जो पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराधों की जांच और परीक्षण के दौरान सहायता कर सकते हैं।
- ❖ **किशोर न्याय कोष का दायरा बढ़ा दिया गया है** और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 के नियम 8(2) के तहत पॉक्सो पीड़ितों के लिए विशेष राहत इससे ली जा सकती है।
- ❖ बाल कल्याण समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए पॉक्सो अधिनियम और नियमों पर **समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यशाला** आयोजित किए गए।

1.3 गृह विभाग द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहल :

- ❖ गृह विभाग ने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जांच महिला उप–निरीक्षकों द्वारा करने के लिए परिपत्र जारी किए हैं; बलात्कार के मामलों में चिकित्सा जांच एवं डीएनए परीक्षण आयोजित करने पर मार्गदर्शन जारी किए हैं, और गुमशुदा मामलों में जांच के लिए समय सीमा निर्धारित करने के लिए निर्देश दिए हैं।
- ❖ विभाग ने नाबालिग अपहृत और लापता लड़कियों के लंबित मामलों में जांच के अपडेट प्राप्त करने के लिए परिवार / सूचनाकर्ताओं के लिए अधिकार पत्र की शुरुआत की है।
- ❖ बाल हितैषी प्रक्रियाओं और जांच के लिए पॉक्सो अधिनियम, 2012 पर जांच अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- ❖ सभी पुलिस प्रशिक्षण अकादमियों एवं सेवा–पूर्व प्रशिक्षण के लिए विभाग तथा यूनिसेफ द्वारा पॉक्सो के प्रावधानों सहित एक जेंडर–केन्द्रित बाल संरक्षण पाठ्यक्रम विकसित किया गया है।
- ❖ साइबर सेल के माध्यम से बालकों की साइबर सुरक्षा हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया।
- ❖ भोपाल और इंदौर में फॉरेंसिक लैब स्थापित कर डीएनए जांच की क्षमता 2020 में 350 प्रति माह से बढ़ाकर 2022 में 600 प्रति माह कर दी गई।
- ❖ मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा कई ऑपरेशन शुरू किए गए हैं, जैसे–**'ऑपरेशन चेतना'** जिसके तहत थानों को अपने अधिकार क्षेत्र में **यौन हिंसा और दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाने** का कर्तव्य सौंपा गया है; **'ऑपरेशन मुस्कान'** जो लापता बालकों को बरामद करने पर केन्द्रित है और **'असली हीरो'** कार्यक्रम उन नागरिकों को पहचान देता है एवं सम्मानित करता है जो महिलाओं तथा बालकों के विरुद्ध हिंसा व अपराधों के विरोध में आवाज उठाते हैं।

1.4 स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहल :

- ❖ स्वास्थ्य विभाग ने पॉक्सो पीड़ितों की उचित मेडिको–लीगल केस (एमएलसी) रिपोर्ट तैयार करने पर डॉक्टरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।
- ❖ बाल यौन शोषण से पीड़ितों की एमएलसी रिपोर्ट तैयार करने के लिए हर जिले के जिला अस्पतालों में डॉक्टरों को नामित किया गया है।
- ❖ बाल यौन शोषण पीड़ितों की एमएलसी रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में डॉक्टरों के लिए दिशानिर्देश[1] जारी किए गए हैं।

1.5 आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहल :

- ❖ बाल यौन शोषण से पीड़ित एवं प्रभावित बालकों की देखरेख और आश्रय के लिए 33 आदिवासी छात्रावासों को उचित सुविधा तंत्र के साथ उपयुक्त घोषित किया गया।

---

[1] https://mphc.gov.in/PDF/web_pdf/JJC/PDF/LAW%20&%20POLICY/GUIDELINES/Guidelins%20&%20Protocols-%20Medico-Legal%20Care%20for%20Survivors-Victims%20of%20sexual%20violance.pdf

[III]
विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों से जुड़ी मुख्य प्रगति

2.1 किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति और बाल देखरेख संस्थानों की स्थापना की स्थिति और उपलब्ध कार्यबल की स्थिति[2]

- ❖ बाल न्यायालयों को नामित (निर्दिष्ट) किया गया है और 51 जिलों में किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना की गई है।
- ❖ 51 किशोर न्याय बोर्ड में से 38 पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं, लेकिन 13 किशोर न्याय बोर्ड में एक–एक सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य के पद खाली है। सभी किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है।
- ❖ 89 सामाजिक कार्यकर्ताओं और 1183 बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के साथ 55 विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किया गया है।
- ❖ जिला बाल संरक्षण इकाइयों में 60 सामाजिक कार्यकर्ता, 30 विधि–सह–परिवीक्षा अधिकारी, 29 परामर्शदाता और 25 आउट–रीच कार्यकर्ता नियुक्त किए गए हैं, लेकिन **जिला बाल संरक्षण इकाई में 303 स्वीकृत पदों में से 159 खाली हैं।**
- ❖ 18 संप्रेक्षण गृह (लड़कियों के लिए 02), 03 विशेष गृह (लड़कियों के लिए 01) और 03 सुरक्षित स्थान (लड़कियों के लिए 01) स्थापित किए गए हैं।

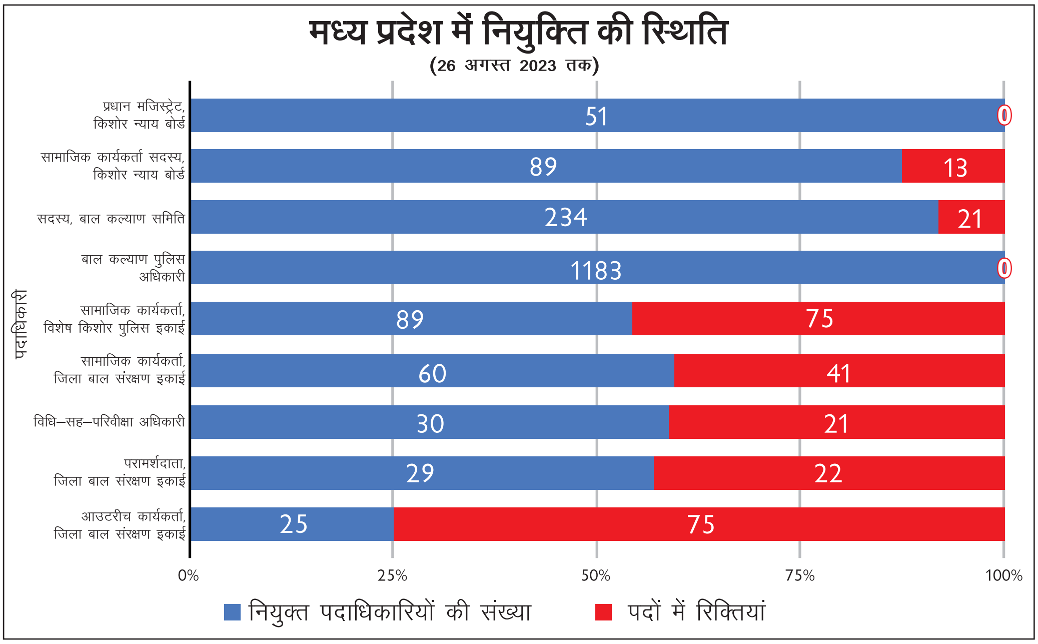

[2]संयुक्त संचालक, व्यक्तिगत देखरेख योजनाएस द्वारा "विमर्श" में प्रस्तुत – बाल संरक्षण पर राज्य स्तरीय हितधारक बैठक, 26 अगस्त, 2023

2.2 बालकों द्वारा कारित अपराध की रोकथाम की पहल

क. महिला एवं बाल विकास विभाग (2022–23) द्वारा उज्जैन में बालकों की **वल्नेरेबिलिटी मैपिंग (सुभेद्यता की पहचान)** किया गया और विषम परिस्थितियों में रह रहे 3580 बालकों की पहचान की गई, जिनमें से 1341 को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा गया।

ख. 23169 गांवों, 6145 वार्डों और 312 विकासखंडों में **बाल संरक्षण समितियों का गठन किया** गया और इनके लिए 10946 प्रशिक्षण आयोजित किए गए।

ग. भोपाल में पुलिस द्वारा शक्ति समितियों, नगर रक्षा समितियों, शौर्या दीदी, जन संवाद और छात्र इंटर्नशिप के माध्यम से हिंसा संभावित समुदायों के बालकों के साथ सामुदायिक पुलिसिंग दृष्टिकोण और निरंतर सामुदायिक जुड़ाव का कार्य किया गया। **अभिमन्यु अभियान** भोपाल पुलिस द्वारा शुरू किया गया है जो विशेष रूप से जोखिम वाले समुदायों में किशोर लड़कों पर ध्यान केन्द्रित करता है और महिलाओं एवं लड़कियों के विरुद्ध लिंग आधारित हिंसा पर पुरुषों एवं लड़कों में जागरूकता पैदा करता है और उन्हें संवेदनशील बनाता है।

घ. शिक्षा विभाग और UNFPA ने लैंगिक रूढ़िवादिता को खत्म करने और सकारात्मक मर्दानगी को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक मर्दानगी पर **उज्ज्वल** नामक एक जीवन कौशल शिक्षा मॉड्यूल बनाया है। इस मॉड्यूल पर शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है और इसे मध्यप्रदेश के विद्यालयों में शुरू किया जा रहा है।

2.3 पुनर्वास के प्रयास :

क. 2303 लड़के और 54 लड़कियों को **व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा गया।** संप्रेक्षण गृह में लड़कों को मोटर वाइंडिंग, सिलाई, राखी बनाने, बढ़ईगीरी और दीया बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ख. 1 अप्रैल 2022 से 22 अगस्त 2023 के बीच बाल देखरेख संस्थान में 2590 लड़कों और 18 लड़कियों को **काउंसलिंग सेवाएं** प्रदान की गईं।

ग. इंदौर के विशेष गृह और इंदौर, खंडवा एवं रतलाम के संप्रेक्षण गृह में **ओपन लाइब्रेरी** स्थापित किए गए।

घ. इंदौर में विशेष गृह और इंदौर, खंडवा, रतलाम, जबलपुर एवं भोपाल के संप्रेक्षण गृह में **कम्प्यूटर लैब** स्थापित किए गए।

ड़. 1 अप्रैल 2022 से 22 अगस्त 2023 के बीच किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष 7359 बालक पेश किए गए, जिनमें से 5175 बालकों (70.32 फीसदी) के लिए सामाजिक जांच रिपोर्ट तैयार की गईं, और 2012 बालकों (27.3 फीसदी) के लिए व्यक्तिगत देखरेख योजनाएं बनाई गईं।

च बाल देखरेख संस्थान में बालक शतरंज और कैरम जैसी मनोरंजक गतिविधियों में शामिल हुए हैं। लड़कों और लड़कियों के लिए **आउटडोर गतिविधियां** आयोजित की जाती हैं और **एक्सपोजर विजिट** आयोजित की जाती हैं।

छ. पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने के प्रयास में बार–बार विधि के उल्लंघन में आ रहे बालकों के माता–पिता और किशोर न्याय बोर्ड के बीच **संवाद का आयोजन** किया जाता है।

ज. बाल समितियों की बैठकों के माध्यम से भोजन और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित बालकों के सुझाव एवं विचार को सुना जा रहा है।

2.4 मध्यप्रदेश में अधिकांश **किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अपने निपटान आदेशों (डिस्पोजल ऑर्डर) में विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के रिकॉर्ड का खुलासा न करने और रिकॉर्ड को नष्ट करने के संबंध में पुलिस को एक स्पष्ट निर्देश** शामिल करके अयोग्यता से सुरक्षा की धारा 24, किशोर न्याय अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

2.5 पुलिस, नागरिक समाज, सरकारी एजेंसियों, किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति के बीच **बहु–एजेंसी समन्वय** एवं कार्रवाई–उन्मुखी संवाद को बढ़ावा देने के लिए भोपाल पुलिस द्वारा एक मंच **"गोलमेज"** को शुरू किया गया है।

2.6 सुप्रीम कोर्ट द्वारा साझा किए गए टेम्पलेट के आधार पर विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से संबंधित आंकड़ों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है और क्रियान्वयन में कमी तथा किशोर न्याय बोर्ड, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं एससीआरबी द्वारा साझा किए गए आंकड़ों में भिन्नता की पहचान की गई है। विश्लेषण **परिशिष्ट–3** में दिया गया है।

[III]
चुनौतियां और विचार (रिफ्लेक्शन)

3.1 बालकों द्वारा कारित अपराध की रोकथाम

1. कठिन परिस्थितियों में रह रहे परिवारों और बालकों की **जिला–स्तरीय मैपिंग की आवश्यकता** है, साथ ही उन **हॉटस्पॉट की पहचान** करने की जरूरत है जहां बालक असुरक्षित हैं और हिंसा, यौन कार्य, नशीले पदार्थ आदि के संपर्क में हैं।

सीआईसीएल की लैंगिक प्रोफाइल

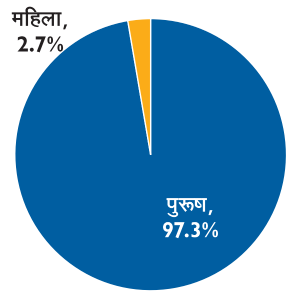

स्रोत: म.प्र. जेजेबी (2019 – जून 2023)

सीआईसीएल की शैक्षणिक प्रोफाइल

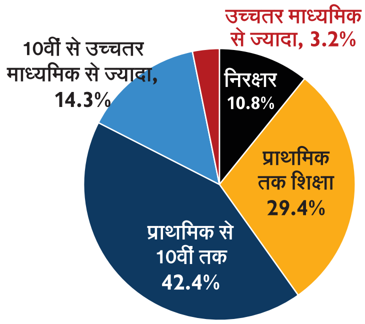

स्रोत: एससीआरबी (2020 – 2022)

सीआईसीएल की पारिवारिक पृष्ठभूमि

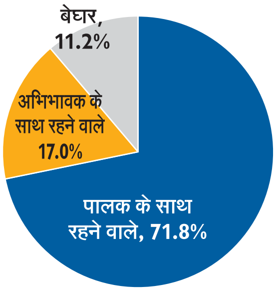

स्रोत: एससीआरबी (2020 – 2022)

सीआईसीएल की आयु प्रोफाइल

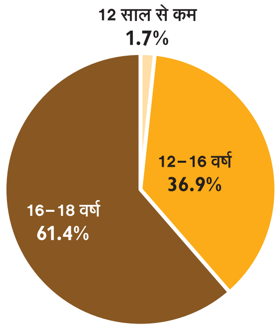

स्रोत: म.प्र. जेजेबी (2019 – जून 2023)

2. नशीले पदार्थ की लत को बालकों को अपराध करने की ओर धकेलने वाले कारक के रूप में पहचाना जाता है। बालकों और किशोरों के लिए पर्याप्त नशामुक्ति केन्द्रों की आवश्यकता है, जिनमें पहले से ही किशोर न्याय प्रणाली में शामिल बालक भी शामिल हैं। वर्तमान में राज्य में विशेष रूप से बालकों के लिए केवल 08 नशा मुक्ति केन्द्र[3] हैं।

---

[3]मध्यप्रदेश में नशा मुक्ति केन्द्रों की सूची, https://socialjustice-mp-gov-in/uploads/media/List_of_De&Addictin_Center_in_MP-pdf

3. किशोर न्याय बोर्ड के आंकड़ों[4] से पता चलता है कि अधिकांश विधि का उल्लंघन करने वाले बालक (97.3 फीसदी) हैं। विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की बड़ी संख्या 16–18 वर्ष आयु समूह (61.4 फीसदी) के बीच है, इसके बाद 12–16 वर्ष का आयु समूह (36.9 फीसदी) है। इसलिए किशोर लड़कों के लिए **लक्षित समुदाय–आधारित कार्यक्रमों की आवश्यकता है।**

4. बालकों द्वारा कारित अपराध के कुछ प्रमुख कारणों में गरीबी, पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ, जागरूकता की कमी, अशिक्षा, मीडिया का प्रभाव, साथियों का प्रभाव, माता–पिता की उपेक्षा या उनका नहीं होना और घरेलू हिंसा हैं। चूंकि अधिकांश विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों (88.8 फीसदी)[5] माता–पिता या अभिभावक के साथ रह रहे थे, इसलिए परिवार सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम अनिवार्य हैं।

5. अधिकांश विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों का स्कूल के साथ जुड़ाव था – 29.4 फीसदी ने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की, 44.4 फीसदी ने 10वीं तक पढ़ाई की और 14.3 फीसदी ने उच्चतर माध्यमिक तक पढ़ाई की।[6] यह **स्कूल–टू–जेजे सिस्टम पाइपलाइन** की आगे की जांच की आवश्यकता को दर्शाता है जिसमें देखा जाना चाहिए कि बालकों के स्कूल छोड़ने का कारण क्या है और बालकों द्वारा कारित अपराध रोकथाम कार्यक्रम व स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रम कैसे शुरू हो सकते हैं।

6. विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को **स्पॉन्सरशिप और पश्चातवर्ती देखरेख** में सहयोग शायद ही कभी दिया जाता है, जिससे दोबारा अपराध करने का जोखिम बढ़ जाता है।

7. **वयस्कों और गिरोहों द्वारा दोषसिद्धि से बचने एवं अपने को कानून से बचाने के लिए बालकों का उपयोग अपराध करने के लिए किया जाता है।** अपराध करने के लिए बालक का उपयोग करने को अपराध बताने वाले किन प्रावधानों के दायरों की जांच की जानी चाहिए? साथ ही इसके रोकथाम की रणनीतियां विकसित करने की आवश्यकता है।

3.2 पुलिस की भूमिका को केन्द्रित करते हुए अपयोजन (डायवर्जन), अभिरक्षा के विकल्प और गैर–अभिरक्षा वाले विकल्प

1. पर्याप्त परामर्शदाता की कमी के कारण एवं उन संस्थानों या व्यवस्था की पहचान की कमी के कारण जहां सामुदायिक सेवा की जा सकती है, **सामुदायिक सेवा एवं ग्रुप काउंसलिंग में गैर–अभिरक्षा विकल्पों का कम उपयोग किया जाता है।** हितधारकों ने साझा किया कि दिशानिर्देशों की कमी और सामुदायिक सेवा के लिए विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के साथ काम करने के इच्छुक संगठनों/संस्थानों की पहचान की कमी के कारण सामुदायिक सेवा का संचालन चुनौतीपूर्ण रहा है।[7]

2. हितधारकों के बीच अपयोजन की अवधारणा की स्पष्ट एवं साझा समझ का अभाव है। कई हितधारक इसे जमानत पर रिहाई एवं किसी बालक द्वारा अपराध करने के बाद गैर–संस्थागत विकल्पों के उपयोग के साथ जोड़ते हैं।

---

[4]माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भेजे गए टेम्पलेट के आधार पर किशोर न्याय बोर्ड और मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त आंकड़ा (आंकड़ा समय अवधि 2019–जून 2023 है)।

[5]मध्यप्रदेश राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो आंकड़ा (2019–2022)।

[6]मध्यप्रदेश राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो आंकड़ा (2019–2022)।

[7]विमर्श के दौरान मतदान में भाग लेने वाले 33 प्रतिभागियों में से 87.9 फीसदी ने कहा कि उनके जिले में समूह कांउसलिंग के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं था और 74.2 फीसदी प्रतिभागियों ने कहा कि उनके जिले में विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए सामुदायिक सेवा कार्यक्रम नहीं थे।

3. किशोर न्याय आदर्श नियम, 2016 के नियम 10(1), किशोर न्याय बोर्ड को छोटे अपराधों के मामलों को निपटाने का अधिकार देता है, जब बालक को पहली बार उसके सामने पेश किया जाता है। इससे न्याय प्रणाली के संपर्क में बालक द्वारा बिताया गया समय काफी कम हो जाता है। लेकिन इस नियम के तहत इस प्रकार के **केवल 5.6 फीसदी छोटे मामलों का निपटारा किया गया।**[8] बड़ी संख्या में विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों (47.2 फीसदी)[9] के कथित रूप से छोटे–मोटे अपराधों में शामिल होने और बड़ी संख्या में विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के पहली बार पकड़े जाने को ध्यान में रखते हुए,[10] किशोर न्याय बोर्ड द्वारा इस प्रावधान के बेहतर उपयोग की संभावना है।

4. विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को संप्रेक्षण गृह में भेजा जाता है क्योंकि **सामाजिक जांच रिपोर्ट और सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट समय पर जमा नहीं की जाती हैं** और जहां ये उपलब्ध हैं, उनमें जरूरी विवरणों की कमी होती है। इस वजह से किशोर न्याय बोर्ड के लिए यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि बालक को जमानत पर रिहा करना सुरक्षित होगा या नहीं।

5. जमानत पर **रिहाई में देरी** तब होती है **जब विधि का उल्लंघन करने वाले बालक का परिवार दूसरे राज्य/जिले में होता है** या यदि विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों अनाथ होता है या जिम्मेदारी संभालने के लिए कोई अभिभावक उपलब्ध नहीं होता है।

6. बालकों के मामलों के निपटान में देरी या सामाजिक जांच रिपोर्ट न मिलने की वजह से जमानत मिलने में देरी होती है, जिसके कारण कुछ संप्रेक्षण गृह में बालकों की संख्या ज्यादा होती है क्योंकि वहां रहने वाले बालक निर्धारित क्षमता से कहीं अधिक हैं।

3.3 पुनर्वास और पुनर्स्थापनात्मक पहल (प्रैक्टिस)

1. **सामाजिक जांच रिपोर्ट/व्यक्तिगत देखरेख योजना/फॉलोअप रिपोर्ट की तैयारी को प्रभावित करने वाले कारक:**

   क. विधि–सह–परिवीक्षा अधिकारी (51 पद लेकिन सिर्फ 21 पर नियुक्ति), सामाजिक कार्यकर्ता (101 पद लेकिन सिर्फ 41 पर नियुक्ति), परामर्शदाता (51 पद लेकिन सिर्फ 22 पर नियुक्ति) और आउटरीच कार्यकर्ता (100 पद लेकिन सिर्फ 75 पर नियुक्ति) के **पदों में रिक्तियां, सामाजिक जांच रिपोर्ट, व्यक्तिगत देखरेख योजना, काउंसलिंग, फॉलोअप और विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की प्रगति रिपोर्ट की तैयारी और गुणवत्ता को प्रभावित कर रही हैं।**

   ख. अपने गृह जिले से दूर संप्रेक्षण गृह/सुरक्षित स्थान/विशेष गृह में रखे गए बालकों के मामलों में **विधिक–सह–परिवीक्षा अधिकारी द्वारा होम विजिट एवं फॉलोअप कार्रवाई प्रभावित होती है।** बार–बार जगह बदलना, स्थानांतरण या दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में परिवारों का निवास, परिवहन सुविधाओं की कमी एवं पर्याप्त यात्रा भत्तों के अभाव के कारण होम विजिट एवं प्रोग्रेस ट्रैकिंग प्रभावित होता है, जिसकी वजह से रिपोर्ट की गुणवत्ता पर असर पड़ता है।

---

[8] माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भेजे गए टेम्पलेट के आधार पर किशोर न्याय बोर्ड और मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त आंकड़ा (आंकड़ा समय अवधि 2019–जून 2023 है)।

[9] माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भेजे गए टेम्पलेट के आधार पर किशोर न्याय बोर्ड और मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त आंकड़ा (आंकड़ा समय अवधि 2019–जून 2023 है)।

[10] मध्यप्रदेश राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो आंकड़ा आंकड़ा (2020–2021)। (2020 में 96.6 फीसदी और 2021 में 86.2 फीसदी विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों पहली बार अभिरक्षा में लिए गए।)

ग. परिवार और पड़ोसी विधिक–सह–परिवीक्षा अधिकारी के साथ सहयोग नहीं करते हैं और ऐसी स्थितियों में विधिक–सह–परिवीक्षा अधिकारी को ऐसे दौरे करने और परिवारों/पड़ोसी से जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिकृत करने वाला एक लिखित आदेश उपयोगी होगा।

घ. सुदूरवर्ती या "अपराध संवेदनशील क्षेत्रों" का दौरा करते समय विधिक–सह–परिवीक्षा अधिकारी को खतरों का सामना करना पड़ता है और बीमा या शारीरिक सुरक्षा के अभाव में कुछ विधिक–सह–परिवीक्षा अधिकारी होम विजिट करने से बचते हैं।

ड़. बाल देखरेख संस्थान के कर्मचारियों को व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार करने में मुश्किल होती है क्योंकि उन्हें मार्कशीट, आयुष्मान कार्ड, समग्र आईडी या जन्म प्रमाण पत्र जैसे कोई संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल की उपस्थिति के बिना बालकों की वास्तविकताओं का पता लगाने के लिए कम समय में उनका विश्वास हासिल करना भी मुश्किल है।

2. बालकों के पुर्नएकीकरण (समाज की मुख्यधारा में फिर से जोड़ना) को प्रभावित करने वाले कारक :

क. **बदनाम होने और गोपनीयता के उल्लंघन की चिंता तब उत्पन्न होती है जब बालक को परिवीक्षा पर छोड़े जाने पर विधिक–सह–परिवीक्षा अधिकारी प्रारूप 10 भरने के लिए बालक के कार्यस्थल या स्कूल का दौरा करते हैं,** या सामाजिक जांच रिपोर्ट तैयार करते हैं, जहां उन्हें बालकों और परिवारों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है जिससे सामाजिक जांच रिपोर्ट और समयांतराल वाली रिपोर्ट तैयार करना मुश्किल हो जाता है। पिछले समय में इस तरह की यात्राओं के परिणामस्वरूप बालक के विरुद्ध मामले का खुलासा हुआ और कुछ मामलों में स्कूल से निष्कासन एवं शिक्षा में व्यवधान भी हुआ।

ख. जमानत मिलने के बाद, विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को पुलिस द्वारा बार–बार परेशान करने एवं बुरी संगत में पड़ने के जोखिम के कारण सार्वजनिक रूप से सामान्य जीवन जीना मुश्किल हो जाता है।

3. बाल देखरेख संस्थान के भीतर पुनर्वास सेवाओं के प्रावधान में चुनौतियां :

क. संप्रेक्षण गृह में बालकों की विभिन्न **शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाइयां होती हैं** क्योंकि बालकों के सीखने के स्तर और क्षमताएं अलग–अलग हैं। वे अल्प अवधि के लिए संप्रेक्षण गृह में होते हैं, और कुछ संप्रेक्षण गृह में शिक्षकों के पद भी रिक्त हैं।

ख. जगह की कमी और विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के साथ पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों की कमी के कारण **कुछ संप्रेक्षण गृह में आउटडोर मनोरंजन सुविधाएं सीमित हैं।** इसके अलावा, संप्रेक्षण गृह में बालिकाओं पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिन्हें आमतौर पर खेल या प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए संप्रेक्षण गृह से बाहर जाने की अनुमति नहीं है।

ग. **यहां स्वास्थ्य जांच प्रभावित होती है** क्योंकि ऑन–कॉल डॉक्टर अपर्याप्त मानदेय का हवाला देकर नियमित रूप से नहीं आते हैं। चिकित्सकीय आपात स्थिति में क्या करना चाहिए, इसे लेकर

कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित नहीं किया गया है और विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को अस्पताल ले जाने के लिए संप्रेक्षण गृह में वाहन की कमी है।

घ. सुरक्षित स्थान में रहने वाले बालकों और युवा वयस्कों के लिए जो आहार मानक निर्धारित किया गया है, वह सुरक्षित स्थान में वयस्कों की आहार संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं।

ङ. संप्रेक्षण गृह में रहने वाले विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए नशा मुक्ति केन्द्रों की आवश्यकता है क्योंकि राज्य में विशेष रूप से बालकों के लिए केवल 08 नशा मुक्ति केन्द्र हैं। ये विभिन्न जिलों में ऐसे केन्द्रों की मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं।

4. सुरक्षा संबंधी चिंताएं :

क. **जहां संप्रेक्षण गृह के परिसर से ही सुरक्षित स्थान संचालित होता है, वहां सुरक्षा एवं बालकों के हित संबंधी चिंताएं उत्पन्न होती हैं,** क्योंकि इसके परिणामस्वरूप बालकों का बड़े वयस्कों के साथ नियमित संपर्क होता है, जिससे उनके व्यवहार और पुनर्वास हस्तक्षेपों में भागीदारी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

ख. सुरक्षा संबंधी चिंताएं तब पैदा होती हैं जब इन संप्रेक्षण गृह में तैनात गार्डों में संवेदनशीलता और प्रशिक्षण की कमी होती है और वे खुलेआम नशीले पदार्थों या धूम्रपान का सेवन करते हैं एवं बालकों को इसके सेवन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

ग. उम्र और अपराध के प्रकार के आधार पर **विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को अलग–अलग रखने के लिए संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह और सुरक्षित स्थान के भीतर पर्याप्त कमरे या छात्रावास नहीं हैं**, जैसा कि किशोर न्याय आदर्श नियम, 2016 के नियम 29 में निर्धारित है।

5. रिहाई के बाद पुनर्वास में कमी :

क. परिवीक्षा अधिकारी द्वारा अक्सर बालक के लिए व्यक्तिगत देखरेख योजना और रिहाई उपरांत योजना तैयार नहीं की जाती है।

ख. **पुनर्वास सेवाओं एवं नशामुक्ति के लिए पर्याप्त जुड़ाव सुनिश्चित किए बिना** विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को संप्रेक्षण गृह/विशेष गृह से मुक्त किया जा रहा है और इस प्रकार बालकों की असुरक्षा एवं अपराध में योगदान देने वाले मूल कारणों का समाधान नहीं किया जा रहा है।

ग. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को उपलब्ध सरकारी योजनाओं के बारे में सूचित नहीं किया जाता है।

घ. पुनर्वास कार्यक्रमों में बालकों एवं परिवारों की भागीदारी और जुड़ाव कम है क्योंकि व्यवस्था में **विश्वास की कमी** और सार्थक कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, नशा मुक्ति, परामर्श सेवाएं, स्कूलों में ब्रिज कोर्स एवं विशेष रूप से विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों से **जुड़ाव की कमी** है।

ङ. फॉलोअप रिपोर्ट्स के अभाव में विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की प्रगति की निगरानी करना कठिन है।

3.4 विधिक एवं अन्य उचित सहायता सहित निष्पक्ष सुनवाई और बाल हितैषी प्रक्रियाओं का अधिकार

1. **बालकों की भागीदारी के अधिकार का प्रभावित होना :**

   क. सभी जिले में संप्रेक्षण गृह न होने की स्थिति में, **विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को अपने वकीलों के साथ बातचीत** और न्यायिक सीमा क्षेत्र के किशोर न्याय बोर्ड तथा बाल न्यायालय में चल रही **पूछताछ एवं जांचों में भागीदारी** और विधिक प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता प्रभावित होती है। बालक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ते हैं, लेकिन इसके माध्यम से किशोर न्याय बोर्ड और विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के बीच पर्याप्त एवं प्रभावी संचार नहीं हो पाता है।

   ख. **बालकों को अक्सर उनके मामलों** की प्रक्रियाओं एवं उसकी स्थिति, अपील करने के उनके अधिकार, या प्रारंभिक निर्धारण के उद्देश्य **के बारे में सूचित नहीं किया जाता है**। यहां तक कि उनके द्वारा साझा की गई जानकारी का उपयोग उनके विरुद्ध किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ बालक यह सोचते हैं कि जमानत मिलने के बाद कार्यवाही समाप्त हो गई है, लेकिन जब उन्हें बाद में समन दिया जाता है तो वे परेशानी, सदमे और भ्रम का अनुभव करते हैं।

2. **मुफ्त विधिक सहायता का कम उपयोग : 2019 से जून 2023 तक, किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पूछताछ के दौरान निःशुल्क विधिक सहायता देने वाले वकीलों की सेवाओं का उपयोग कम (14.8 फीसदी) था और बाल न्यायालय के समक्ष जांचों में यह लगभग नगण्य (2.1 फीसदी) था।[11] इस अवधि में अपील चरण में किसी भी तरह मुफ्त विधिक सहायता का उपयोग नहीं किया गया**[12], जिससे अपील के लिए विधिक सहायता तक विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की पहुंच के बारे में चिंताएं बढ़ गईं है। धारा 15 के तहत प्रारंभिक निर्धारण के दौरान बालक को उनके लिए उपलब्ध विधिक प्रतिनिधित्व की प्रकृति के बारे में जानकारी की आवश्यकता है।

3. **अवैध अभिरक्षा :** पुलिस स्टेशनों में नाबालिगों को अवैध रूप से अभिरक्षा में रखने एवं यातना देने की खबरें आई हैं।[13] प्रतिशोध लिए जाने के डर के बिना इस तरह के दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के पास बहुत कम साधन उपलब्ध हैं। नक्सल प्रभावित दूरदराज के इलाकों में जहां किशोर न्याय बोर्ड एवं संप्रेक्षण गृह से पुलिस स्टेशन बहुत दूर स्थित हैं, वहां बालकों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश होने तक पुलिस स्टेशन में रखा जाता है।

4. **बालकों के साथ वयस्कों जैसा व्यवहार :**

   क. 2019 से जून 2023 तक 319 आरोपियों को सामान्य न्यायालयों से किशोर न्याय बोर्ड में स्थानांतरित कर दिया गया था, यह मानते हुए कि अपराध के समय आरोपी नाबालिग था। इस वजह से कानून लागू होने की खामियों के साथ–साथ न्यायालयों की खामियों के बारे में चिंता बढ़ गई।[14]

---

[11] माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भेजे गए टेम्पलेट के आधार पर किशोर न्याय बोर्ड और मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त आंकड़ा (आंकड़ा समय अवधि 2019–जून 2023 है)।

[12] माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भेजे गए टेम्पलेट के आधार पर किशोर न्याय बोर्ड और मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त आंकड़ा (आंकड़ा समय अवधि 2019–जून 2023 है)।

[13] पीटीआई, एनएचआरसी ने 4 किशोरों की 'अवैध' अभिरक्षा पर मप्र सरकार, डीजीपी को भेजा नोटिस, 8 मई 2022, https://www-deccanherald-com/india/nhrc&notice&to&mp&govt&dgp&over&illegal&detention&of&4&juveniles&1107358-html

[14] माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भेजे गए टेम्पलेट के आधार पर किशोर न्याय बोर्ड और मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त आंकड़ा (आंकड़ा समय अवधि 2019–जून 2023 है)।

ख. कुछ मामलों में, विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों एवं अन्य वयस्क आरोपियों के लिए पुलिस एक सामान्य आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट तैयार करती है, भले ही आरोप पत्र में शामिल सभी अपराधों में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक शामिल न हो।

ग. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 23, ऐसे व्यक्ति के साथ विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की संयुक्त कार्यवाही पर रोक लगाती है जो बच्चा नहीं है। इस पर आंकड़ों की आवश्यकता है कि क्या विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के रूप में सुनवाई के लिए बाल न्यायालय में स्थानांतरित किए गए बालकों पर एक ही मामले में वयस्क आरोपी व्यक्तियों से अलग मुकदमा चलाया जा रहा है।

5. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 24 एवं 74(2) और स्पष्ट आदेशों के तहत लंबित या निपटाए गए मामलों के बारे में खुलासे पर प्रतिबंध है। पर पुलिस सत्यापन प्रक्रिया के दौरान **लंबित या निपटाए गए मामलों के बारे में पुलिस के खुलासे से विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के बेहतर भविष्य, जैसे–रोजगार आदि की संभावनाएं प्रभावित होती हैं।** किशोर न्याय बोर्ड से ऐसी जानकारी का खुलासा नहीं करने को कहा गया है।

6. **बाल हितैषी प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने में चुनौतियां :**

क. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 8 (1) के विपरीत, **छोटे अपराधों (39.7 फीसदी) और गंभीर अपराधों (58.9 फीसदी) में एफआईआर दर्ज की जा रही हैं और विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को अभिरक्षा में लिया जा रहा है।** यह आंशिक रूप से पुलिस के बीच किशोर न्याय आदर्श नियम, 2016 के प्रावधानों के बारे में जागरूकता की कमी के साथ–साथ शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने के दबाव के कारण है।

ख. बाल–हितैषी मानसिकता के अभाव में **किशोर न्याय बोर्ड द्वारा कई बार पूछताछ, ट्रायल की तरह की जाती है। सुनवाई के दौरान बालकों के अनुकूल माहौल को सुनिश्चित करना भी मुश्किल है** क्योंकि सुनवाई का संचालन एवं न्यायालय का बुनियादी ढांचा अपरिवर्तित रहता है। उदाहरण के लिए, विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को गोपनीय रूप से सुनने के लिए किशोर न्याय बोर्ड में कोई निजी स्थान नहीं है। इस प्रकार विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को व्यक्तिगत जानकारी या पुलिस द्वारा किसी भी तरह की हिंसा का सामना करने के बारे में जानकारी साझा करना मुश्किल लगता है।

कुल रिपोर्ट किए गए मामलों में से अभिरक्षा में लिए गए सीआईसीएल का प्रतिशत

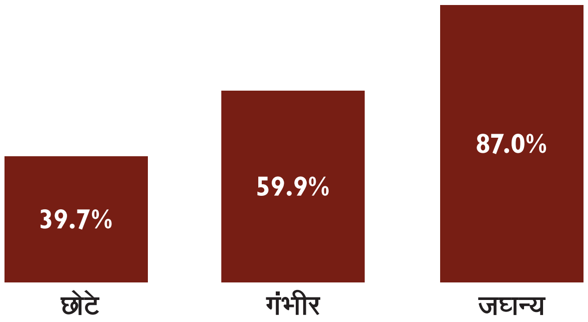

स्रोत: म.प्र. जेजेबी (2019 – जून 2023)

ग. प्रशिक्षित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के बार–बार स्थानांतरण के कारण पुलिस द्वारा बाल हितैषी प्रक्रियाओं का लगातार पालन कर पाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हालांकि गृह विभाग द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया है–जिसमें कहा गया है कि बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को तीन साल से पहले स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए ताकि निरंतरता बनी रहे,[15] पर इस नियम का क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण रहा है और बार–बार स्थानांतरण के कारण प्रशिक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है।

घ. विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी एवं पुलिस अपराध के बारे में जानकारी या विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को अभिरक्षा में लेने के बाद त्वरित जानकारी विधिक–सह–परिवीक्षा अधिकारी के साथ साझा नहीं करते हैं।

7. यद्यपि अपराध के प्रकार की परवाह किए बिना विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को जमानत देना किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत एक अधिकार है, लेकिन छोटे अपराधों का प्रतिशत जिनमें जमानत दी गई थी, वह महज 66.5 फीसदी है।[16] शेष मामलों पर स्पष्टता की जरूरत है कि कितने मामलों में जमानत देने से इनकार किया गया (इनकार करने के कारणों सहित) और क्या जमानत का सवाल इसलिए नहीं उठा होगा क्योंकि बच्चा नहीं मिल सका होगा या पहली ही पेशी में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा मामलों का निपटान कर दिया गया था या कोई अन्य कारण था।

8. आवागमन में ज्यादा खर्च और दैनिक मजदूरी का नुकसान किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष स्थानीय गवाहों और बालकों की उपस्थिति को प्रभावित करती है। इस वजह से मामलों के समय पर निपटान में देरी होती है।

3.5 आपराधिक जिम्मेदारी की न्यूनतम उम्र (एमएसीआर) और आपराधिक वयस्कता की उम्र (प्रारंभिक निर्धारण)

1. 2019 से जून 2023 तक, 12 साल से कम उम्र के 972 विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए और इस बात की जांच करने की आवश्यकता है कि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा ऐसे मामलों को कैसे निपटा8या गया है।[17]

2. प्रारंभिक निर्धारण के उद्देश्य के बारे में या प्रारंभिक निर्धारण के दौरान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जिन रिपोर्टों पर भरोसा किया जा रहा है, उनके बारे में विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के साथ पर्याप्त जानकारी आवश्यक रूप से साझा नहीं की जाती है, और निर्धारण के दौरान विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को विधिक सहायता भी सीमित है। यह ज्ञात नहीं है कि क्या बचाव पक्ष को उस विशेषज्ञ से जिरह करने की अनुमति है जिसने बालक की मानसिक क्षमता का निर्धारण किया था।

---

[15] https://mphc-gov-in/PDF/web_pdf/JJC/LAW%20&%20POLICY/CIRCULARS%20&%20ORDERS/sjpu%20order-jpg-

[16] माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भेजे गए टेम्पलेट के आधार पर किशोर न्याय बोर्ड और मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त आंकड़ा (आंकड़ा समय अवधि 2019–जून 2023 है)

[17] माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भेजे गए टेम्पलेट के आधार पर किशोर न्याय बोर्ड और मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त आंकड़ा (आंकड़ा समय अवधि 2019–जून 2023 है)

3. **किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्रारंभिक निर्धारण करने से संबंधित चुनौतियां :**

क. अधिकांश जिलों में मनोवैज्ञानिकों और मनो–सामाजिक विशेषज्ञों की कमी है और बालकों को प्रारंभिक निर्धारण के लिए दूसरे जिलों में भेजना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल न्यायालयों द्वारा प्रारंभिक निर्धारण करने में देरी होती है।

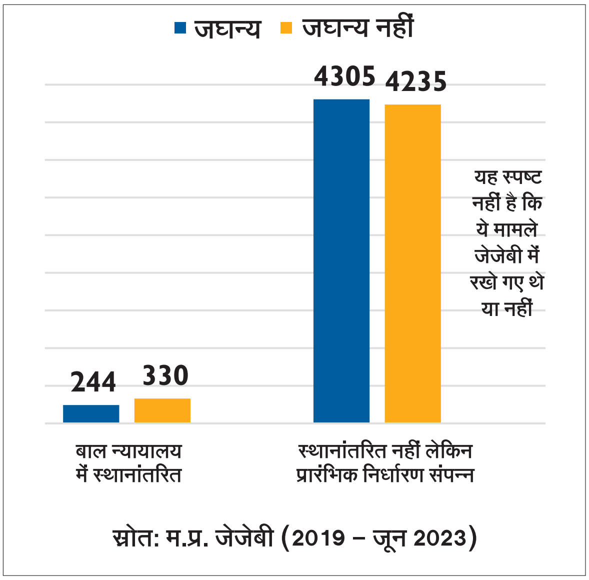

ख. एक समुचित रिपोर्ट के लिए, परिवार से विस्तृत इतिहास को जानने और बालक के साथ नियमित बातचीत की आवश्यकता होती है। इस कार्य में समय लगता है। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा मनोवैज्ञानिकों को दी गई समय सीमा कम होने से ऐसा करना संभव नहीं है।

ग. किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्रारंभिक निर्धारण के संचालन पर स्पष्ट मार्गदर्शन के अभाव में, इस बात की स्पष्टता नहीं है कि क्या पुलिस द्वारा सूचीबद्ध गवाहों को प्रारंभिक निर्धारण के हिस्से के रूप में बुलाया जा सकता है और प्रारंभिक निर्धारण के दौरान विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति क्या होगी।

घ. सामाजिक जांच रिपोर्ट और सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट या तो समय पर जमा नहीं किए जाते हैं या ठीक से भरे नहीं जाते हैं। और इस प्रकार प्रारंभिक निर्धारण आयोजित करने के लिए विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की परिस्थितियों को समझने हेतु यह अपर्याप्त होता है।

ड़. मनोवैज्ञानिकों की रिपोर्ट्स तकनीकी रूप से भरी जाती हैं और उनमें बालक की मानसिक और भावनात्मक स्थिति जैसे भौतिक विवरणों का अभाव होता है। उनमें आमतौर पर यह कथन होता है कि बालक का आईक्यू सामान्य पाया गया है और बालक को अपराध के परिणामों की समझ है।

च. मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स प्रारंभिक निर्धारण से जुड़ी विधिक पेचीदगियों से अनभिज्ञ हैं। उन्हें किशोर न्याय अधिनियम, 2015, एनसीपीसीआर द्वारा जारी दिशानिर्देश, प्रारंभिक निर्धारण के उद्देश्य और उनसे किशोर न्याय बोर्ड की अपेक्षाओं को लेकर कोई मार्गदर्शन प्रदान नहीं किया गया है।

छ. प्रारंभिक निर्धारण तब मुश्किल होता है जब कथित अपराध की तारीख और निर्धारण के बीच काफी देरी होती है। समय बीतने के साथ अपराध के परिणामों की परिपक्वता और समझ में बदलाव हो सकता है।

ज. प्रारंभिक निर्धारण में देरी तब होती है जब बालक की उम्र को लेकर विवाद होता है और दस्तावेजों के दो अलग–अलग सेट तैयार किए जाते हैं, या कई मामलों में स्कॉलर रजिस्टर दूसरे जिलों से मंगाने पड़ते हैं।

झ. इस बात पर स्पष्टता की कमी है कि प्रारंभिक निर्धारण को नए सिरे से कैसे आयोजित किया जा सकता है, जब इसे अपीलीय न्यायालयों द्वारा रद्द कर दिया गया हो एवं मामला किशोर न्याय बोर्ड को वापस भेज दिया गया हो।

4. हालांकि प्रारंभिक निर्धारण किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 15 के तहत जघन्य अपराधों के मामलों तक ही सीमित है, लेकिन किशोर न्याय बोर्ड के आंकड़ों से पता चलता है कि प्रारंभिक निर्धारण छोटे और गंभीर अपराधों (4235 मामलों) में भी आयोजित किए जा रहे हैं। इन मामलों में विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को (330 मामले) बाल न्यायालय में भी स्थानांतरित किए जा रहे हैं।[18]

5. **धारा 20 के तहत निर्धारण से संबंधित चिंताएं :**

क. 22 विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों पर मुकदमा चलाया गया एवं उन्हें वयस्क मानकर दोषी ठहराया गया और 21 साल के होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। केवल 01 विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को निगरानी प्राधिकरण की प्रगति रिपोर्ट के आधार पर 21 साल का होने के बाद रिहा किया गया।[19] इन कारणों से सुरक्षित स्थान में प्रदान की जा रही सुधारात्मक सेवाओं की गुणवत्ता, प्रगति रिपोर्ट और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 20 के तहत बाल न्यायालय द्वारा अपनाई गई निर्धारण प्रक्रिया के बारे में चिंताएं बढ़ गईं।

ख. सुरक्षित स्थान के बालक को शिक्षा, कौशल विकास, काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य सहायता सहित सुधारात्मक सेवाएं प्रदान करना आवश्यक है। नियमित फॉलोअप रिपोर्ट और बालकों को प्रदान की जाने वाली पुनर्वास सेवाओं की गुणवत्ता के मूल्यांकन के अभाव में, उस बात या तथ्य के बारे में स्पष्टता की आवश्यकता है जिसके आधार पर बाल न्यायालय यह निर्णय लेता है कि बालक में सुधारात्मक परिवर्तन हुए हैं या नहीं।

अतिरिक्त मुद्दे

1. लैंगिक अपराध से पीड़ित बालकों और पुलिस एस्कॉर्ट को अस्पताल में लंबे समय तक इंतजार कराया जाता है, जिससे मेडिकल जांच में देरी होती है और बालक को कठिनाई होती है। **इससे बचने के लिए पुलिस एस्कॉर्ट पहले से ही ड्यूटी डॉक्टर के साथ समन्वय कर जांच के लिए उपयुक्त समय तय कर सकती है।**

2. गर्भ का चिकित्सकीय समापन के मामलों में पुलिस को अक्सर उस कंटेनर की व्यवस्था करने के लिए कहा जाता है जिसमें गर्भधारण के टिश्यू एवं अन्य साक्ष्यों को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है।

3. किशोर न्याय बोर्ड को बड़ी संख्या 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के बीच सहमति से यौन संबंध से जुड़े 'रोमांटिक मामले' प्राप्त हो रहे हैं, जहां उन पर आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं।

---

[18] माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भेजे गए टेम्पलेट के आधार पर किशोर न्याय बोर्ड और मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त आंकड़ा (आंकड़ा समय अवधि 2019–जून 2023 है)।

[19] माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भेजे गए टेम्पलेट के आधार पर किशोर न्याय बोर्ड और मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त आंकड़ा (आंकड़ा समय अवधि 2019–जून 2023 है)।

[IV]
आगामी कार्य योजना

4.1 सामान्य उपाय

1. विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों और किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल न्यायालयों के कामकाज के संबंध में मानकीकृत और व्यवस्थित आंकड़ा संग्रह सुनिश्चित करने के लिए एक **एकीकृत CP-MIS विकसित किया जाना चाहिए।**

2. माननीय उच्च न्यायालय निम्न पर विचार कर सकता है :

   क. किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल न्यायालय के लिए **यूनिट मानदंडों पर दोबारा विचार** करना चाहिए क्योंकि विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से जुड़ी प्रक्रियाएं संवेदनशील और समय लेने वाली हैं;

   ख. अधिक लंबित मामलों वाले जिलों में कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाना;

   ग. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के कार्यान्वयन में ऑपरेशनल (परिचालन) चुनौतियों का समाधान करने के लिए जिला न्यायाधीशों को **मासिक जिला–स्तरीय समन्वय बैठकें** आयोजित करने का निर्देश देना।

3. महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निम्नलिखित उपायों पर विचार किया जा सकता है :

   क. प्रभावी समन्वय के लिए, **जिला बाल संरक्षण समिति बैठकों के नियमित संचालन** की निगरानी करें और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की संभावना पर विचार करें;

   ख. जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल देखरेख संस्थान और किशोर न्याय बोर्ड में **रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरें** ताकि अधिनियम और नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन संभव हो सके;

   ग. जिला बाल संरक्षण इकाई को **मनो–सामाजिक विशेषज्ञों और अन्य विशेषज्ञों का एक पैनल** बनाने का निर्देश दें, जिससे किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल न्यायालय प्रारंभिक निर्धारण की प्रक्रिया में उनसे मदद ले सकें।

   घ. जिला बाल संरक्षण इकाई को सामुदायिक संसाधनों, बाल मनोविज्ञान एवं बाल अधिकारों को जानने वाले प्रोफेशनल्स और उस क्षेत्र में काम करने वाले गैर–सरकारी संगठनों के साथ समन्वय के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि संसाधन की कमी को पूरा किया जा सके तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के पुनर्वास एवं समाज में पुर्नएकीकरण के विधायी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

   ड़. बाल देखरेख संस्थान और जिला बाल संरक्षण इकाई के कर्मचारियों, जो ज्यादातर संविदा पर हैं, के लिए **एक अच्छी तरह से परिभाषित नियमावली बनाकर उनके करियर में तरक्की, महंगाई बढ़ने के साथ समायोजित वेतन** और उनके पूर्व के सालों के अनुभव के महत्व को सुनिश्चित करें।

   च. विधिक–सह–परिवीक्षा अधिकारी को अपनी भूमिका का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक बुनियादी सहयोग, सुरक्षा और यात्रा भत्ते प्रदान करें।

   छ. रोस्टर ड्यूटी पर अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों को मानदेय

के भुगतान पर ध्यान दें।

ज. सभी जिलों में संप्रेक्षण गृह स्थापित करें।

4. गृह विभाग को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के कार्यकाल में निरंतरता और पर्याप्त संसाधनों के आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य कार्य योजना, 2023–2027 के अंतर्गत बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का एक पृथक बल निर्मित करना चाहिए।

5. **क्षमता निर्माण :**

क. किशोर न्याय बोर्ड सदस्यों एवं मजिस्ट्रेट्स, पुलिस/विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला बाल संरक्षण इकाई, विधिक–सह–परिवीक्षा अधिकारी, परामर्शदाता, बाल कल्याण समिति, सामाजिक कार्यकर्ताओं, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, सीएसओ और अन्य के लिए **एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से एकीकृत दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।**

ख. **मजिस्ट्रेट्स और सदस्यों को एक बहु–विषयक पीठ के रूप में एक साथ काम करने में सक्षम बनाने के लिए उनके संयुक्त प्रशिक्षण** की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

6. **विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से संबंधित हितधारकों के सामान्य प्रश्नों के उत्तर** और विभिन्न हितधारकों द्वारा अपनाई गई **अच्छी पहल** का दस्तावेजीकरण करके **पुस्तिकाएं** विकसित करनी चाहिए और उन्हें व्यापक रूप से प्रसारित किया जाना चाहिए।

4.2 बालकों द्वारा कारित अपराध की रोकथाम

1. जिला बाल संरक्षण इकाई को सभी जिलों में जोखिम वाले एवं हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रह रहे परिवारों तथा बालकों की पहचान करने, उन्हें उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, प्रीवेन्टिव स्पॉन्सरशिप एवं शिक्षा से जोड़ने और पूर्व–सतर्कता–संबंधी (निवारक) हस्तक्षेप की सुविधा के लिए **जिला स्तर पर वल्नरेबेलिटी मैपिंग के माध्यम से पूर्व "सामाजिक जांच"** करनी चाहिए।

2. **सामुदायिक सदस्यों**, जैसे–विश्वविद्यालय के छात्रों, सरकारी अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूह, महिला समूहों और निजी क्षेत्र में काम करने वालों **की सक्रिय भागीदारी** को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे सरकारी स्कूलों और समुदायों में उपेक्षित एवं सुभेद्य बालकों, विशेषकर किशोरों के साथ जुड़ सकें, उनका मार्गदर्शन कर सकें और उन्हें प्रेरित कर सकें।

3. मिशन पोषण, मिशन वात्सल्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, पंचायत राज संस्थान, शिक्षा विभाग, कौशल मिशन, अल्पसंख्यक विभाग, जनजातीय विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सहित अन्य के तहत **मौजूदा ढांचों एवं कार्यक्रमों का उपयोग** सुभेद्य परिवारों एवं बालकों की मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच, जागरूकता और उनसे जुड़ाव में सुधार के लिए किया जाना चाहिए।

4. समुदाय में पालन–पोषण, बालकों द्वारा अपराध की रोकथाम में योगदान देने वाले मुद्दों और कुछ समुदायों के बालकों को 'अपराधी' या 'आदतन' अपराधी के रूप में पहचान करने एवं उन्हें कलंकित करने के हानिकारक प्रभाव पर **निरंतर और व्यवस्थित रूप से जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम** चलाए जाने चाहिए।

5. सामाजिक न्याय विभाग द्वारा सार्वजनिक–निजी भागीदारी के माध्यम से **जिलों में संचालित नशामुक्ति केन्द्रों की जानकारी** सभी किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति और जिला बाल संरक्षण इकाई तक

व्यापक रूप से प्रसारित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में बालकों के लिए नशा मुक्ति केन्द्रों की आवश्यकता वाले बालकों की संख्या के बारे में जानकारी एकत्र की जानी चाहिए और तदनुसार प्रशिक्षित एवं बाल हितैषी स्टाफ वाले नशा मुक्ति केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिए।

6. किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति को सक्रिय रूप से विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों और अपराध के जोखिम वाले बालकों के लिए **स्पॉन्सरशिप और पश्चातवर्ती देखरेख का आदेश** देना चाहिए।

7. **शिक्षा विभाग** सकारात्मक मर्दानगी पर उज्ज्वल मॉड्यूल के आधार पर **संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह और सुरक्षित स्थान के शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण** दे सकता है।

8. मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्कूल में **परामर्शदाता की नियुक्ति** की जानी चाहिए।

9. विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के विरुद्ध रिपोर्ट किए गए वे मामले, जिनमें वयस्क शामिल है और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की **धारा 77, 78 एवं 83** के आवेदन और विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की संख्या जो पहले देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के रूप में सिस्टम में प्रवेश कर चुके हैं, को लेकर **आंकड़ें इकट्ठा किया जाना चाहिए** ताकि कमियों का पता लगाया जा सके और रोकथाम की कार्रवाई की जा सके।

10. **मध्यप्रदेश बाल संरक्षण नीति, 2020 में निर्दिष्ट रोकथाम के उपायों** को लागू किया जाना चाहिए।

मध्यप्रदेश बाल संरक्षण नीति, 2020 में निवारक उपाय (रोकथाम के उपाय)[20]

पैरा 20 – प्रभावी रोकथाम के लिए

क. बालकों की प्राथमिक देखरेख करने वाले के रूप में, परिवार किसी भी तरह के जोखिम की रोकथाम के साथ–साथ अपने बालकों की सुरक्षा और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और मध्यप्रदेश शासन इस भूमिका को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में उन्हें पर्याप्त सहयोग करेगा।

ख. अनिवार्य जन्म पंजीकरण के माध्यम से बालक की पहचान और कानून के सामने एक व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने के उसके अधिकार को सुनिश्चित किया जाएगा।

ग. निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, स्थानीय अधिकारियों एवं समुदाय आधारित तंत्र जैसे – बाल संरक्षण समितियों, स्कूल प्रबंधन समितियों एवं पैरा–लीगल वॉलंटियर्स को सभी प्रकार की हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण एवं बालकों में नशे की प्रयोग की रोकथाम तथा बालकों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित व सहयोग किया जाएगा।

घ. जोखिम में रहने वाले बालकों या परिवारों की पहचान करने के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा नियमित अंतराल पर सर्वेक्षण और वल्नरेबेलिटी मैपिंग किया जाएगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में या बाल संरक्षण प्रणाली के दायरे में लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

ड़. बालकों की देखरेख एवं सुरक्षा के लिए पालना गृह और डे केयर सुविधाएं सुनिश्चित की जाएगी।

[20] https://mphc.gov.in/PDF/web_pdf/JJC/PDF/LAW%20&%20POLICY/GUIDELINES/Madhya%20Pradesh%20Guidelines/Madhya%20Pradesh%20Child%20Protection%20Policy,%202020.pdf

च. बाल हिंसा पर रोकथाम के तरीके, सकारात्मक पालन–पोषण, लैंगिक समानता, बालकों में नशा, सभी उपलब्ध हेल्पलाइन, कानून एवं बाल संरक्षण से संबंधित योजनाओं आदि पर जागरूकता के लिए अभियान और सत्र चलाए जाएंगे और ये सब सभी बालकों, माता–पिता एवं वयस्कों के लिए उनकी उम्र, शैक्षणिक स्थिति व दिव्यांग्ता को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध कराएं जाएंगे।

छ. व्यापक जीवन कौशल एवं आयु–उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा (ऑनलाइन सुरक्षा सहित) के कार्यक्रम स्कूली पाठ्यक्रम के माध्यम से और समुदाय व बाल देखरेख संस्थानों में रह रहे बालकों के लिए किसी अन्य तरीकों से चलाया जाएगा।

ज. बालकों, किशोरों एवं युवाओं को अधिकार–आधारित भागीदारी और समाज में नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देकर उनके सशक्तिकरण और आत्मनिर्णय की भावना को बढ़ावा दिया जाएगा।

झ. देखरेख करने वाले और सेवा प्रदाता, जिन पर बालकों की देखरेख और सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वे बालकों के साथ अपने व्यवहार और आचरण में मध्यप्रदेश बाल संरक्षण नीति और उसके लिए लागू संचालन दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।

4.3 पुलिस की भूमिका को केन्द्रित करते हुए अपयोजन (डायवर्जन), अभिरक्षा के विकल्प और गैर–अभिरक्षा वाले विकल्प

1. मध्यप्रदेश में **अपयोजन के मौजूदा मॉडल**, जैसे कि भोपाल का विशेष किशोर पुलिस इकाई मॉडल है, जिसमें पुलिस द्वारा बिना शर्त अपयोजन भी शामिल है, का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए और अपयोजन कार्यक्रम का सहयोग करने के लिए समुदाय के भीतर उपलब्ध संसाधनों और पुनर्वास सेवाओं का चिह्नांकन किया जाना चाहिए।

2. कार्यशालाओं और उन्मुखीकरण के माध्यम से पुलिस, विशेष किशोर पुलिस इकाई, किशोर न्याय बोर्ड, जिला बाल संरक्षण इकाई, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और अन्य हितधारकों के बीच **अपयोजन उपायों की एक आम एवं साझा समझ** को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके बाद, विशेष किशोर पुलिस इकाई में सामाजिक कार्यकर्ताओं को ऐसे केस की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है, जिन्हें डायवर्ट किया जा सकता है।

3. केस के प्रकार, अपयोजन के चरण और अपयोजन कार्यक्रमों की प्रकृति पर दिशा–निर्देश सहित मौजूदा विधिक ढांचे के आधार पर **अपयोजन के लिए मानक** विकसित किए जाने चाहिए व पायलट कार्यक्रमों पर विचार किया जा सकता है।

4. **किशोर न्याय बोर्ड** को बालक के पहली बार उसके सामने पेश होने पर छोटे–मोटे अपराधों के मामलों को निपटाने के लिए **किशोर न्याय आदर्श नियम, 2016 के नियम 10(1) के तहत शक्तियों का उपयोग** करने पर सक्रिय रूप से विचार करना चाहिए, ताकि न्याय प्रणाली के साथ बालक के संपर्क को काफी कम किया जा सके।

5. किशोर न्याय बोर्ड को जमानत की ऐसी शर्तें लगानी चाहिए जिनका संबंधित बालक और परिवार द्वारा व्यावहारिक रूप से पालन किया जा सके और यदि बालक/परिवार जमानत आदेश के सात दिनों के भीतर उन्हें पूरा करने में असमर्थ है, तो किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की **धारा 12(4)** के अनुसार शर्तों को संशोधित करना चाहिए। संप्रेक्षण गृह के अधीक्षक जमानत शर्तों में संशोधन के लिए ऐसे मामलों को किशोर न्याय बोर्ड के ध्यान में लाना सुनिश्चित कर सकते हैं।

6. प्रत्येक जिले में **सामुदायिक सेवा कार्यक्रम**, जैसे – अस्पतालों में सेवाएं, वृक्षारोपण आदि की **सक्रिय रूप से पहचान की जानी चाहिए**। सामुदायिक सेवा के अवसरों की पहचान करने के लिए स्थानीय प्रशासन एवं जिला कलेक्टरेट के साथ संबंध स्थापित किया जाना चाहिए और सामुदायिक सेवा कार्यक्रम के लिए धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

7. ग्रुप काउंसलिंग के संचालन को सक्षम करने के लिए **महिला एवं बाल विकास विभाग को योग्य काउंसर्ल्स की नियुक्ति करनी चाहिए** और आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए।

8. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की **धारा 97** में दिए गए आदेश के अनुसार स्टे ऑर्डर की अवधि पूरी होने से पहले विशेष गृह या सुरक्षित स्थान में भेजे गए बालक की रिहाई पर किशोर न्याय बोर्ड और बाल न्यायालय द्वारा सक्रिय रूप से विचार करने की आवश्यकता है।

4.4 पुनर्वास और पुनर्स्थापनात्मक पहल (प्रैक्टिस)

1. **क्षमता निर्माण :**

   क. महिला एवं बाल विकास विभाग को **सामाजिक जांच रिपोर्ट और व्यक्तिगत देखरेख योजना की गुणवत्ता में सुधार के लिए कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण** देना चाहिए। सामाजिक जांच रिपोर्ट में बालक के परिवार, स्कूल और समुदाय में जोखिम के कारकों के साथ–साथ सुरक्षात्मक उपायों दोनों का विवरण शामिल किया जाना चाहिए।

   ख. विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के हित में बाल देखरेख संस्थान के गार्ड सहित सभी कर्मचारियों के लिए **संवेदीकरण कार्यशालाएं** आयोजित की जानी चाहिए।

   ग. विधिक–सह–परिवीक्षा अधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, बाल न्यायालय और बाल देखरेख संस्थान स्टाफ द्वारा **प्रत्येक चरण में** –सामाजिक जांच रिपोर्ट तैयार करते समय, पुनर्वास आदेश तैयार करते समय, व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार करते समय एवं बाल देखरेख संस्थान में बालक की देखरेख करते समय – **बालक के सपनों और आकांक्षाओं का पता लगाया जाना चाहिए** और उन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए।

2. **बाल देखरेख संस्थान के भीतर पुनर्वास सेवाएं :**

   क. विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए यदि संप्रेक्षण गृह में 10 से अधिक बालक हैं तो एक **डॉक्टर एवं कंपाउंडर उपलब्ध होना चाहिए**। साथ ही वहां **एक प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ नियुक्त किया जाना चाहिए**। डॉक्टर्स को सप्ताह में कम से कम तीन बार संप्रेक्षण गृह का दौरा करना अनिवार्य किया जाना चाहिए।

   ख. संप्रेक्षण गृह, सुरक्षित स्थान और विशेष गृह पर जाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सेवा प्रदाताओं, शिक्षकों और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वालों को उनके **यात्रा व्यय** प्रदान किया जा सकता है।

ग. संप्रेक्षण गृह, सुरक्षित स्थान और विशेष गृह में बालकों को **आउटडोर खेलों के लिए पर्याप्त सुविधाएं** प्रदान की जानी चाहिए।

घ. **स्वैच्छिक संगठनों की पहचान** की जानी चाहिए और उन्हें विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

3. **सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान :**

क. बाल संरक्षण सेवा के लिए **समग्र अधोसंरचना (कंपोजिट इंफ्रास्ट्रक्चर)** से सुरक्षित स्थान और संप्रेक्षण गृह के लिए साझा अधोसंरचना से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान कुछ हद तक किया जा सकेगा।

ख. बालकों की सुरक्षा का आकलन करने और कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपायों की पहचान करने के लिए बाल देखरेख संस्थान में **सुरक्षा ऑडिट** किया जाना चाहिए।

4. **किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति द्वारा समन्वय के प्रयास : विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों, जो देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक हैं उन्हें किशोर न्याय बोर्ड पुनर्वास के लिए बाल कल्याण समिति में स्थानांतरित कर सकते हैं,** या वैकल्पिक रूप से किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के उद्देश्यों के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड उनके पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए उपाय भी कर सकते हैं।

5. **रिहाई के बाद पुनर्वास :**

क. समुदाय के भीतर ही बालकों के साथ व्यक्तिगत हस्तक्षेप, बेहतर संचार और बालकों, उनके परिवारों एवं विधिक–सह–परिवीक्षा अधिकारी के बीच समन्वय को सहज बनाने के लिए **बाल संरक्षण समिति को गांव तथा वार्ड स्तर पर सक्रिय किया जाना चाहिए।**

ख. चूंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि / गरीबी / घरेलू हिंसा बालकों द्वारा अपराध करने के कारण हैं, इसलिए **किशोर न्याय बोर्ड स्पष्ट रूप से जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रासंगिक सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से परिवारों को जोड़ने एवं परिवार परामर्श की व्यवस्था करने का निर्देश दे सकते हैं।**

ग. पारिवारिक संबंधों को सुदृढ़ करने हेतु बालक को प्रदान की जाने वाली परामर्श सेवाओं में माता–पिता को शामिल करना चाहिए। मजबूत करना चाहिए। परिवार को बालक का सहयोग करने और उसके साथ व्यवहार करने के मार्गदर्शन के साथ तरीके भी बताना चाहिए।

6. **बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को विधिक–सह–परिवीक्षा अधिकारी के साथ दूरदराज और संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है,** जहां होम विजिट जोखिम से भरा होता है। **विधिक–सह–परिवीक्षा अधिकारी के लिए बीमा के प्रावधान** पर विचार किया जा सकता है क्योंकि यह जोखिम वाले क्षेत्रों में दौरे करने के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करेगा।

7. विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संदर्भ में **पुनर्स्थापनात्मक न्याय प्रक्रियाओं की उपयुक्तता और व्यवहारिकता सुनिश्चित करने के लिए साक्ष्य–आधारित दृष्टिकोण** अपनाया जाना चाहिए।

4.5 विधिक एवं अन्य उचित सहायता सहित निष्पक्ष सुनवाई और बाल हितैषी प्रक्रियाओं का अधिकार

1. **बाल हितैषी प्रक्रियाओं की जवाबदेही और उसका पालन सुनिश्चित करना :**

   क. प्रारूप–1 (सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट) में एक खंड जोड़ने पर विचार किया जाना चाहिए जिसमें पुलिस को **छोटे और गंभीर अपराधों में एफआईआर दर्ज करने के कारणों को बताने की आवश्यकता** होगी। किशोर न्याय बोर्ड जवाबदेही की मांग करेगा और उचित मामलों में किशोर न्याय आदर्श नियम, 2016 के नियम 91 लागू करने की संभावना का पता लगाएगा।

   ख. छोटे और गंभीर अपराधों में बिना सोचे–समझे एफआईआर दर्ज करने एवं **विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को अभिरक्षा में लेने का मुद्दा** जिला बाल संरक्षण समिति या जिला न्यायाधीश द्वारा बुलाई गई **मासिक या त्रैमासिक समन्वय बैठकों में उठाया जाना** चाहिए।

   ग. पुलिस और विशेष किशोर पुलिस इकाई को नियमित रूप से ऐसी बैठकों में **किशोर न्याय आदर्श नियम, 2016 के नियम 8** के बारे में बताया जाना चाहिए और उस प्रावधान को पुलिस थाना में भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

   घ. **सामान्य दैनिक डायरी किशोर न्याय बोर्ड को प्रस्तुत** की जा सकती है और छोट/गंभीर मामलों में एफआईआर तभी दर्ज की जा सकती है जब यह उनके द्वारा अनुमोदित हो।

2. **निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं तक पहुंच में सुधार :**

   क. किशोर न्याय आदर्श नियम, 2016 के नियम 8 (6) के अनुसार, सभी नामित पैरा लीगल वालंटियर्स एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की एक सूची और **निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार** प्रत्येक पुलिस स्टेशन में बाल हितैषी क्षेत्र में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए, जिसमें **जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं विधिक सहायता वकीलों (लीगल एड लायर्स) के संपर्क नंबर** भी हो। इसे किशोर न्याय बोर्ड, संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह एवं सुरक्षित स्थान में भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

   ख. मुकदमे, अपील और जमानत प्रक्रिया के दौरान विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए इन वकीलों की सहायता सुनिश्चित करने के लिए **विधिक सहायता रक्षा परामर्श कार्यक्रम** का लाभ उठाया जाना चाहिए।

3. **अयोग्यता और अभिलेखों के प्रकटीकरण के विरुद्ध सुरक्षा पालन सुनिश्चित करना:**

   क. पुलिस को विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के विरुद्ध किसी भी **लंबित या निपटाए गए मामले के खुलासे पर रोक** के बारे में नियमित रूप से उन्मुख होने की आवश्यकता है और इस बिंदु को विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के साथ काम करते समय पुलिस के लिए क्या करें और क्या न करें की सूची में शामिल किया जा सकता है और सभी पुलिस थानों में इसे प्रमुखता से प्रदर्शित किया जा सकता है।

   ख. पुलिस सत्यापन के प्रारूप को स्पष्ट रूप से इंगित करने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों के विरुद्ध लंबित या निपटाए गए मामलों (वयस्क के रूप में ट्रायल के बाद बाल न्यायालय द्वारा दोषी पाए गए 16 वर्ष से ऊपर के बालकों को छोड़कर) का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए।

ग. **पुलिस और किशोर न्याय बोर्ड द्वारा मिलकर विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के रिकॉर्ड को गोपनीय रखने और नष्ट करने के लिए दिशानिर्देश विकसित किए जाने चाहिए।** प्रासंगिक आंकड़ों को बनाए रखते हुए विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के रिकॉर्ड को नष्ट करने के तरीके के संबंध में शंका को दूर करने हेतु एक स्पष्ट प्रक्रिया विकसित करने के लिए न्यायपालिका और गृह विभाग का एक संयुक्त विमर्श आयोजित किया जाना चाहिए। महिला एवं बाल विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी दिल्ली किशोर न्याय बोर्ड (अभिलेखों का रखरखाव और निपटान) नियम, 2018 के समान दिशानिर्देश बनाने पर विचार किया जा सकता है।

4. **पूछताछ में बालकों की भागीदारी बढ़ाना :**

क. **किशोर न्याय बोर्ड को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 91(2) को लागू करना चाहिए** और पूछताछ में बालक की समय पर उपस्थिति और भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए **यात्रा प्रतिपूर्ति प्रदान करनी चाहिए।**

ख. उपस्थिति को प्रोत्साहित करने के लिए भोजन, परामर्श, व्यावसायिक प्रशिक्षण से जुड़ाव और नशामुक्ति सेवाएं भी प्रदान की जा सकती हैं।

ग. पूछताछ या ट्रायल के दौरान सहायता के लिए विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए **सहयोगी व्यक्तियों (पॉक्सो मामलों में सहयोगी व्यक्तियों के समान) की नियुक्ति** पर विचार करने की आवश्यकता है।

5. **लंबित मामलों का समाधान करना और त्वरित जांच सुनिश्चित करना :**

क. लंबित मामलों के समाधान के लिए **किशोर न्याय बोर्ड और पूर्णकालिक प्रधान मजिस्ट्रेटों की बैठकों की संख्या में वृद्धि पर विचार किया जाना चाहिए।**

ख. बाल न्यायालयों और किशोर न्याय बोर्ड में गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए **उनका संपर्क नंबर और गवाह के गांव के सरपंच का नंबर** संपर्क के उद्देश्यों के लिए लिया जा सकता है।

ग. प्रासंगिक रिपोर्ट और आदेश **ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत करने की अनुमति** दी जानी चाहिए।

घ. यात्रा और अन्य लॉजिस्टिक्स के कारण होने वाली देरी से बचने के लिए डॉक्टरों और आईओ के साक्ष्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज किए जा सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सभी किशोर न्याय बोर्ड और बाल न्यायालयों में **डिजिटल बुनियादी ढांचे को स्थापित करने और उन्हें उन्नत करने की आवश्यकता है।**

4.6 आपराधिक जिम्मेदारी की न्यूनतम उम्र (एमएसीआर) और आपराधिक वयस्कता की उम्र (प्रारंभिक निर्धारण)

1. **विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करना :**

क. जिला बाल संरक्षण इकाई को **प्रारंभिक निर्धारण करने में सहयोग करने के लिए प्रत्येक जिले में प्रशिक्षित परामर्शदाताओं, मनोवैज्ञानिकों और अन्य विशेषज्ञों का एक पैनल बनाना चाहिए।**

ख. बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा में अपेक्षित अनुभव और योग्यता वाले सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों को किशोर न्याय बोर्ड में नियुक्त किया जा सकता है ताकि वे बेहतर निर्धारण कर सकें।

ग. मार्गदर्शन और सहयोग के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर **एक विशेषज्ञ पैनल** भी बनाया जा सकता है।

घ. किशोर न्याय बोर्ड को निर्धारण करने के लिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जैसे **किसी अन्य विशेषज्ञ को शामिल करने के लिए अपने विवेक का उपयोग करना** चाहिए, क्योंकि किशोरावस्था के दौरान हार्मोनल परिवर्तन निर्णय लेने को प्रभावित कर सकते हैं।

ड़. किशोर न्याय बोर्ड सप्ताह/माह में **कोई एक खास दिन निर्धारित करने पर विचार** कर सकते हैं, जिस दिन विशेषज्ञ मानसिक क्षमता का आकलन करने के लिए संप्रेक्षण गृह/किशोर न्याय बोर्ड का दौरा कर सकते हैं।

च. जिला कलेक्टर पड़ोसी जिलों के **मनो–सामाजिक कार्यकर्ताओं, मनोवैज्ञानिकों या अन्य विशेषज्ञों की पहचान** करके, उनकी सूची बनाकर उसे किशोर न्याय बोर्ड को उपलब्ध करा सकते हैं। ऐसे विशेषज्ञों को सप्ताह में कम से कम एक या दो बार किशोर न्याय बोर्ड को अपनी सेवाएं प्रदान करने का निर्देश दे सकते हैं।

2. **क्षमता निर्माण :**

क. किशोर न्याय बोर्ड मजिस्ट्रेट और सामाजिक कार्यकर्ताओं को **बाल मनोविज्ञान पर प्रशिक्षित** किया जाना चाहिए।

ख. प्रारंभिक निर्धारण के दौरान जिन मनो–सामाजिक विशेषज्ञों की सहायता मांगी जा रही है, उन्हें किशोर न्याय अधिनियम, 2015, बाल अधिकार, **प्रारंभिक निर्धारण के उद्देश्य और एनसीपीसीआर द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में प्रशिक्षित** किया जाना चाहिए।

3. विशेषज्ञों को मानसिक क्षमता पर निष्कर्ष देने के लिए अस्पष्ट रिपोर्ट देने या आईक्यू टेस्ट जैसे सीमित तकनीकों/तरीकों पर अत्यधिक भरोसा करने से बचना चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो **समग्र आकलन** करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध करना चाहिए।

4. पहले से मौजूद प्रारंभिक निर्धारण पर स्पष्टता जरूरी है और तीन महीने से **अधिक पुराने प्रारंभिक निर्धारण के मामलों में पुनर्परीक्षण के लिए पहचान** की जानी चाहिए।

5. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 20 के तहत बाल न्यायालय द्वारा अपनाई गई मूल्यांकन की प्रक्रिया और सुरक्षित स्थान में उपलब्ध **पुनर्वास हस्तक्षेपों में कमी का अध्ययन** किया जाना चाहिए।

6. नीति निर्माताओं को **भारत के 7 वर्ष के एमएसीआर (आपराधिक जिम्मेदारी की न्यूनतम उम्र) पर फिर से विचार** करने की आवश्यकता है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है जिसमें कहा गया है कि यह कम से कम 14 वर्ष का होना चाहिए।

[V]
केन्द्रित क्षेत्रों में आशाजनक पहल (प्रॉमिसिंग प्रक्टिसेस)

कुछ जिलों में किशोर न्याय बोर्ड, विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी एवं संप्रेक्षण गृह, सुरक्षित स्थान के कर्मचारियों और बाल न्याय प्रणाली में अन्य हितधारकों के बीच नियमित संवाद इस प्रयास के लिए बेहतर संचार तथा समन्वय को संभव बनाता है। उदाहरण के लिए, **रीवा** में किशोर न्याय बोर्ड और विशेष किशोर पुलिस इकाई को शामिल करते हुए किशोर न्याय बोर्ड मासिक समन्वय बैठकें आयोजित करता है और विशेष किशोर पुलिस इकाई के लिए कार्यशालाएं आयोजित करता है, जिसके कारण विशेष किशोर पुलिस इकाई के कामकाज में काफी सुधार हुआ है। **डिंडोरी और कटनी** में किशोर न्याय बोर्ड ने पुलिस और जिला बाल संरक्षण अधिकारी को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के विधिक प्रावधानों और प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की थी।

5.1 बालकों द्वारा कारित अपराध की रोकथाम

1. **मंडला** जिले के किशोर न्याय बोर्ड में बालक के साथ–साथ माता–पिता की नियमित काउंसलिंग की जाती है। इससे माता–पिता को अपने बालकों की जरूरतों को समझने में मदद मिलती है, जो बालकों को दोबारा अपराध करने से रोकने में मददगार साबित होता है।
2. **मंदसौर और नीमच** के कुछ क्षेत्रों में, जहां परिवारों द्वारा बालकों को यौन कार्य/वेश्यावृत्ति और संबंधित गतिविधियों में धकेलने की प्रथा है, जिसके परिणामस्वरूप दंडनीय अपराध होते हैं, वहां बालकों द्वारा कारित अपराध रोकथाम हस्तक्षेप के लिए बालकों को उसी समुदाय के रोल मॉडल के संपर्क में लाना शामिल है, जो अब सरकारी और अन्य कार्यक्षेत्रों में प्रोफेशनल्स के रूप में काम कर रहे हैं।

5.2 पुलिस की भूमिका को केन्द्रित करते हुए अपयोजन (डायवर्जन), अभिरक्षा के विकल्प और गैर– अभिरक्षा वाले विकल्प

1. किशोर न्याय बोर्ड–**बालाघाट** ने 17 वर्षीय विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को विधिक सहायता के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया। लड़के ने कई शिविरों और सेमिनारों में भाग लिया और आज एक स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहा है। बालकों की गरिमा और क्षमता को ध्यान में रखते हुए उन्हें सरकारी स्कूल या स्थानीय अस्पताल में सामुदायिक सेवा करने के लिए भी कहा जाता है।
2. **इंदौर** में सुरक्षित स्थान के अधीक्षक ने जमानत आदेश की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ बालकों को निजी मुचलके पर रिहा करने के लिए किशोर न्याय बोर्ड में भेजा।

5.3 पुनर्वास और पुनर्स्थापनात्मक पहल (प्रैक्टिस)

1. कुछ जिलों में जहां कार्यवाही या अन्य कारणों से बालकों की पढ़ाई बाधित हुई है, वहां बालकों की **शिक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास** किया जा रहा है। उदाहरण के लिए :

   क. **छिंदवाड़ा** में एक विधिक–सह–परिवीक्षा अधिकारी ने बताया कि जो बालक या तो हाल ही में 9वीं/10वीं कक्षा में फेल हो गए हैं या जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, विधिक–सह–परिवीक्षा अधिकारी द्वारा उन बालकों को छात्रावास की सुविधा वाली शालाओं में प्रवेश दिलाने या उनके

लिए छात्रावास सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार जिले में लगभग 10 बालकों का पुनर्वास किया गया है।

ख. **इंदौर** में बालकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होने के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। इसकी जानकारी मिलने पर विधिक–सह–परिवीक्षा अधिकारी ने स्कूल जाकर स्कूल प्रबंधन को किशोर न्याय अधिनियम के बारे में समझाया और इस प्रयास के बाद प्रबंधन द्वारा बालकों को निकालने का फैसला वापस ले लिया गया।

ग. कुछ किशोर न्याय बोर्ड किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 8 (3) (छ) और 17 (2) के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग अपराध के जोखिम वाले बालकों और विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से जुड़े मामलों को बाल कल्याण समिति में रेफर करने के लिए करते हैं, जहां बालक को फिर से विधि के उल्लंघन में आने से रोका जा सके। **खरगोन (मंडलेश्वर)** में, किशोर न्याय बोर्ड ने यह सुनिश्चित किया कि जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों स्कूल नहीं जा रहे हैं, उन्हें बाल कल्याण समिति की सहायता के साथ स्कूल और आईटीआई में प्रवेश दिया जाए।

घ. **छिंदवाड़ा** में विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए किशोर न्याय बोर्ड परिसर में एक बालमित्र पुस्तकालय बनाया गया है, जहां वे प्रेरणादायक साहित्य सामग्री को पढ़ सकते हैं।

2. कई जिलों ने **विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को रचनात्मक एवं सृजनात्मक गतिविधियों में संलग्न करने की सुविधा प्रदान की है और विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए स्थानीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों से एवं उनके लिए फायदेमंद मौजूदा सरकारी योजनाओं से जोड़ने के बारे में पता लगाया है।** उदाहरण के लिए निम्न पहल की गई हैं :

क. पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता की भावना पैदा करने के लिए, **मंडला, सतना, अशोक नगर और खरगोन** में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को बागवानी एवं पौधे लगाने के काम में लगाया गया है।

ख. मध्यान्ह भोजन योजना के तहत लाभार्थियों को दिए जाने वाले भोजन की व्यवस्था में विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को लगाया गया था।[21]

ग. **सतना** में किशोर न्याय बोर्ड ने स्थानीय विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए कौशल विकास कार्यशालाओं का आयोजन किया, हालांकि बांस एवं अन्य सामग्रियों का उपयोग करके घरेलू सामान बनाने को लेकर गैर सरकारी संगठनों और वन विभाग के साथ सहभागिता करने वाला यहां कोई संप्रेक्षण गृह नहीं है। जिला न्यायालय में आयोजित प्रदर्शनी में इन कार्यशालाओं में भाग लेने वाले बालकों की कृतियों/उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिभागिता प्रमाण पत्र एवं उपहार भी वितरित किए गए। किशोर न्याय बोर्ड बालकों को स्कूलों, अस्पतालों, वृद्धाश्रमों में पौधारोपण और बागवानी गतिविधियों के लिए प्रेरित करता है और उन्हें सामुदायिक सेवा में संलग्न करता है।

घ. **झाबुआ, मुरैना** में बाल देखरेख संस्थान में भी कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए गए।

ङ. **छिंदवाड़ा** में बालकों को प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम और अंबुजा फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया।

---
[21]तकनीकी सत्र–3, सवाल–जवाब

च. **डिंडोरी** में, किशोर न्याय बोर्ड विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को जीवन–कौशल विकास के लिए मिट्टी–हस्तशिल्प, कंप्यूटर प्रशिक्षण, विद्युत उपकरण मरम्मत प्रशिक्षण, पेंटिंग, निबंध, भाषण और योग–आसन आदि जैसी रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ रहा है।

छ. **ग्वालियर** में बालकों को खिलौने, लैंप आदि जैसे घरेलू उत्पाद बनाने के लिए अपशिष्ट सामग्री को रीसाइक्लिंग करने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

ज. **कटनी** में विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जहां उन्हें शिक्षा, कौशल, जागरूकता कार्यक्रम, शिविर आदि के बारे में जानकारी दी जाती है।

झ. **मुरैना** में प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के प्रशिक्षण के लिए किशोर न्याय बोर्ड किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 18 के तहत आदेश पारित कर रहा है।

ञ. **रीवा** में किशोर न्याय बोर्ड ने विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए एक प्रारूप विकसित किया है और इन आंकड़ों का उपयोग उनसे संबंधित शिक्षा और रोजगार पर शिविर आयोजित करने के लिए किया जाता है।

ट. **खरगोन** में विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के पुनर्वास हेतु कृषि विज्ञान केन्द्र देवास पर रोजगार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 80 बालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। किशोर न्याय बोर्ड विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए एक प्रतिभा खोज प्रतियोगिता आयोजित करने की भी योजना बना रहा है।

ठ. **नर्मदापुरम** में समय–समय पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा करियर काउंसलिंग सहित विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

3. **सामुदायिक संसाधनों को जुटाने के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :**

क. **इंदौर** में संप्रेक्षण गृह में कोई खेल का मैदान नहीं था। किशोर न्याय बोर्ड ने नजदीकी कॉलेज के साथ चर्चा की और उसके बाद संप्रेक्षण गृह के बालकों द्वारा कॉलेज के मैदान के उपयोग की व्यवस्था हो गई।

ख. **जबलपुर** में संप्रेक्षण गृह में शिक्षक का पद खाली है। जब तक पद भर नहीं जाता, तब तक के लिए किशोर न्याय बोर्ड ने कैटलिस्ट्स फॉर सोशल एक्शन के सहयोग से एक अतिथि शिक्षक की सेवाएं ली है।

4. **कुछ किशोर न्याय बोर्ड बालकों को सशक्त बनाने के लिए उनके साथ प्रभावी जुड़ाव विकसित करने का प्रयास** करते हैं। उदाहरण के लिए –

क **विदिशा** में यदि कोई विधि का उल्लंघन करने वाले बालक परीक्षा उत्तीर्ण करता है और उच्च कक्षा में जाता है, तो किशोर न्याय बोर्ड सदस्य उसे चॉकलेट देकर सम्मानित करते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं एवं उन्हें प्रेरित करने के लिए परिसर में उनके साथ एक पेड़ लगाते हैं।

ख. **गुना** में मजिस्ट्रेट और किशोर न्याय बोर्ड सदस्य अपने खर्चे पर बालकों के लिए किताबें और स्टेशनरी खरीदते हैं और उन्हें शिक्षा के संबंध में सलाह देते हैं।

ग. **ग्वालियर** में समूह बैठकें होती है, जहां बालक एक–दूसरे के साथ जुड़ते हैं और वहां हर शनिवार को बाल सभा आयोजित की जाती हैं।

5. कुछ किशोर न्याय बोर्ड विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को **नैतिक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास** करते हैं, जैसे –

क. **मुरैना** में आनंदम संस्था या ब्रह्माकुमारी संस्था और उन जैसे अन्य संगठन 'प्रेरक कक्षाएं' आयोजित करके विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को नैतिकता की ओर प्रेरित करते हैं।

ख. **शिवपुरी** में किशोर न्याय बोर्ड बालकों को कानून और नैतिक मूल्यों के बारे में समझाता है।

ग. **सीधी** में किशोर न्याय बोर्ड की कार्यवाही में भाग लेने वाले बालकों को प्रेरणादायक कहानियों की एक किताब दी जाती है, जिसका उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

6. किशोर न्याय बोर्ड द्वारा सक्रिय हस्तक्षेप के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :

क. **जबलपुर** में एक रक्षा संस्थान में प्रशिक्षण के लिए अपराध के जोखिम वाले बालकों की उम्मीदवारी को लेकर इस आधार पर सवाल उठाया गया था कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत उसपर कार्यवाही की गई थी। इस मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्यवाही के आधार पर किसी भी बालक की अयोग्यता पर रोक लगाने के संबंध में संबंधित संस्थान को लिखित में संवाद किया, जिसके बाद अपराध के जोखिम वाले बालकों की उम्मीदवारी स्वीकार कर ली गई। किशोर न्याय बोर्ड प्रत्येक केस के निपटान आदेश के अंत में संबंधित पुलिस स्टेशन के लिए एक पंक्ति भी जोड़ता है, जिसमें उनसे मामले की कार्यवाही का खुलासा न करने के लिए कहा जाता है।

ख. विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए **जबलपुर** में किशोर न्याय बोर्ड ने सरपंच और शिक्षा विभाग की मदद से आवश्यक पहचान दस्तावेज हासिल करने में विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की सहायता की, जिसके लिए वह पात्र था। किशोर न्याय बोर्ड ने यह भी सुनिश्चित किया कि शिक्षा में उनकी कमी को दूर करने के लिए योजना के साथ–साथ उनका स्कूल में नामांकन भी हो।

ग. **गुना** में विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को कार्यवाही के लिए आने पर किशोर न्याय बोर्ड के परिसर में परामर्श सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

7. **बुरहानपुर** में जांच के बजाय पीड़ित पक्ष और विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के बीच पारस्परिक समझ और विवाद के समाधान को प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रयास किए जाते हैं।

8. **विदिशा** में मोटर दुर्घटना के मामलों में, यदि अपराध के जोखिम वाले बालकों पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख तक 16 वर्ष से अधिक उम्र का है, तो किशोर न्याय बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि जांच के समापन से पहले परिवीक्षा अधिकारी की सहायता से उनका लर्निंग लाइसेंस तैयार हो जाए।

5.4 विधिक एवं अन्य उचित सहायता सहित निष्पक्ष सुनवाई और बाल हितैषी प्रक्रियाओं का अधिकार

1. कुछ किशोर न्याय बोर्ड अन्य संस्थानों द्वारा सभी प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के पालन पर जोर देते हैं। कुछ निम्न उदाहरण हैं –

क. **रीवा** में प्रारूप–1 के साथ विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को उपस्थित करने पर जोर दिया जाता है।

ख. **हरदा** में किशोर न्याय बोर्ड विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के रिकॉर्ड को नष्ट करने के लिए किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 24 के तहत प्रमाण–पत्र जारी करता है।

ग. **डिंडोरी** में किशोर न्याय बोर्ड इस बात पर जोर देता है कि प्रत्येक मामले में सामाजिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना चाहिए और विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

घ. **भोपाल** में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में चालान स्वीकार नहीं किया जाता है।

2. विधिक जागरूकता सुनिश्चित करना :

क. **मंडला** में विधिक सहायता विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त एक पैरालीगल स्वयंसेवक विधिक जागरूकता सेवाएं संचालित करता है और किशोर न्याय बोर्ड परिसर में बालकों और उनके परिवारों को विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के अधिकारों पर पुस्तिकाएं वितरित करता है। कुछ किशोर न्याय बोर्ड केस में देरी को कम करने के लिए केस प्रबंधन तकनीकों, योजनाओं और आईसीटी के उपयोग को अपनाते हैं।

ख. **कटनी** में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा स्कूलों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं और विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसके माध्यम से सुनवाई, शिक्षा, कौशल, जागरूकता कार्यक्रमों, शिविरों आदि के बारे में जानकारी दी जाती है।

3. केस के निपटान में देरी से बचने के लिए :

क. **अनूपपुर** में किशोर न्याय बोर्ड चालान पेश करते समय ही संबंधित गवाहों की सूची बना लेता है ताकि केस में अप्रासंगिक गवाहों को बुलाने से समय की बर्बादी न हो। वे डॉक्टरों को भी पहली बार में ही 'जांच साक्ष्य' के लिए बुला लेते हैं, ताकि उनके तबादलों के कारण होने वाली देरी से बचा जा सके। इसके अलावा किशोर न्याय बोर्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टरों एवं जांच अधिकारियों के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग को प्रोत्साहित करता है ताकि समय पर जांच पूरी हो सके।

ख. **गुना** में जिस केस में विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों पुलिस की अंतिम रिपोर्ट में आरोपों का विरोध करती है, वहां किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किशोर न्याय बोर्ड में अंतिम रिपोर्ट पेश करने वाले अधिकारी को उसी दिन गवाहों के लिए समन दिया जाता है ताकि वह अधिकारी बिना देर किए संबंधित गवाहों को समन भेज सके।

4. कार्यवाही में भागीदारी को प्रोत्साहित करना :

क. **मंडला** में बालक की नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की मदद से किशोर न्याय बोर्ड में आने वाले बालकों के लिए पोषण आहार की व्यवस्था की जाती है।

ख. **गुना** में गवाही देने आने वाले बालकों को भोज देकर, खिलौने देकर एवं आराम की अन्य चीजें देकर सहज महसूस कराया जाता है।

5.5 आपराधिक जिम्मेदारी की न्यूनतम उम्र (एमएसीआर) और आपराधिक वयस्कता की उम्र (प्रारंभिक निर्धारण)

1. **रीवा** में किशोर न्याय बोर्ड ने प्रारंभिक निर्धारण करने में सहायता हेतु किशोर न्याय बोर्ड का दौरा करने के लिए मनो–सामाजिक विशेषज्ञों के लिए महीने में दो दिन तय किए हैं।

परिशिष्ट–1
दो दिवसीय ''विमर्श'' कार्यक्रम का एजेंडा

"विमर्श" – बाल संरक्षण पर मध्यप्रदेश राज्य–स्तरीय हितधारक परामर्श

दिनांक : 26 और 27 अगस्त, 2023

स्थान : मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर

उद्देश्य–

1. बालकों के लिए न्याय और विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में हुई प्रगति और प्रमुख चुनौतियों की समीक्षा करना।
2. आशाजनक पहल की पहचान करना, जिन्हें विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए न्याय सुनिश्चित करने हेतु व्यापक स्तर पर दोहराया जा सके (लंबित मामलों का समाधान, अभिरक्षा/गैर–अभिरक्षा विकल्पों का विश्लेषण, पुनर्वास उपाय आदि)
3. विशिष्ट प्राथमिकता वाली कार्रवाई योग्य अनुशंसाओं की पहचान करना, जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के लिए न्याय को बढ़ाने हेतु एक कार्य योजना बनाएगी।
4. हितधारकों के पर्याप्त प्रशिक्षण में सहयोग करने में प्रशिक्षण संस्थानों/अकादमियों की भूमिका की समीक्षा करना।

समय	विषय	सहजकता/स्रोत व्यक्ति
पहला दिन, 26 अगस्त 2023		
9.00–9.45	प्रतिभागियों का आगमन एवं पंजीयन	
9.45–10.00	गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत एवं दीप प्रज्वलन	सचिव, किशोर न्याय समिति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय
10.00–11.00	मंच पर आसीन गणमान्य अतिथियों का स्वागत विमर्श का परिचय एवं इसके संदर्भ को तय करना टिप्पणी :	• **श्री समरेश सिंह,** सचिव, किशोर न्याय समिति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय • **सुश्री मार्गरेट ग्वाडा,** राज्य प्रमुख, यूनिसेफ, मध्यप्रदेश • **डॉ. राजेश राजोरा** अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग

समय	विषय	सहजकता/स्रोत व्यक्ति
		• **माननीय श्री न्यायमूर्ति आनंद पाठक** न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय सदस्य, किशोर न्याय समिति
	मुख्य वक्तव्य	• **माननीय श्री न्यायमूर्ति रवि मलिमथ** माननीय मुख्य न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय
	धन्यवाद ज्ञापन	• **श्री कृष्णमूर्ति मिश्र** निदेशक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर
	राष्ट्रगान	
	उद्घाटन समारोह का वीडियो देखने के लिए QR स्कैन करें	
11.00	चाय	
11:30–12.00	**तकनीकी सत्र – I** मंथन 2022 : प्रगति एवं उपलब्धियां	
	सत्र का परिचय	अध्यक्षता : **माननीय श्री न्यायमूर्ति आनंद पाठक** न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एवं सदस्य, किशोर न्याय समिति,
	बाल संरक्षण पर राज्य कार्य योजना 2023–2027 के परिचय सहित मंथन 2022 की प्रगति और उपलब्धियों पर प्रस्तुति	**श्री समरेश सिंह,** सचिव, किशोर न्याय समिति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय
	वॉयस ऑफ एडोलसेंट्स : विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों पर आधारित एक लघु फिल्म	
12.00–14:00	**तकनीकी सत्र – II** मध्यप्रदेश में बालकों द्वारा कारित अपराध – एक अवलोकन (i) मध्यप्रदेश में बालकों द्वारा कारित अपराध की स्थिति और प्रवृत्तियों का अपडेट (ii) बालकों द्वारा कारित अपराध की रोकथाम : प्रेरक कारक, निवारक रणनीतियां, चुनौतियां (iii) मध्यप्रदेश में बेहतरीन पहल : भोपाल पुलिस द्वारा रोकथाम को लेकर पहल	
	सत्र का परिचय	अध्यक्षता : **माननीय श्री न्यायमूर्ति आनंद पाठक** न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एवं सदस्य, किशोर न्याय समिति

समय	विषय	सहजकता/स्रोत व्यक्ति
	(i) मध्यप्रदेश में बालकों द्वारा कारित अपराध की स्थिति और प्रवृत्तियों पर वर्तमान स्थिति (अपडेट) इसमें शामिल हैं : ● अभिरक्षा में लिए गए बालकों की संख्या (छोटे, गंभीर, जघन्य), किशोर न्याय बोर्ड के सामने लाए गए बालकों की संख्या, संप्रेक्षण गृह/सुरक्षित स्थान को भेजे गए बालकों की संख्या, जमानत पर छूटे बालकों की संख्या पर आंकड़ा ● विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों द्वारा किए गए अपराधों की प्रकृति ● उपलब्ध कराई गईं पुनर्वास सेवाएं–जिनमें विधिक सहायता, कौशल विकास परामर्श, काउंसलिंग आदि शामिल हैं। ● चुनौतियां ● अनुशंसाएं	**प्रस्तुतिकरण :** **मध्यप्रदेश में वर्तमान स्थिति** **श्री अमिताभ अवस्थी** संयुक्त संचालक, व्यक्तिगत देखरेख योजनायें महिला एवं बाल विकास विभाग **मध्यप्रदेश में देखी गई प्रवृत्तियां** **श्री जी.पी. सिंह** विशेष पुलिस महानिदेशक, सीआईडी पुलिस मुख्यालय, भोपाल
	(ii) मध्यप्रदेश में विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के आंकड़ों का विश्लेषण	**सुश्री स्वागता राहा** विधि विशेषज्ञ एवं शोधकर्ता एनफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट
	(iii) मध्यप्रदेश में बेहतरीन पहल : भोपाल पुलिस द्वारा रोकथाम को लेकर पहल	विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुति ● **डॉ. विनीत कपूर** प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर टू डीजीपी पुलिस मुख्यालय
	पैडलेट का परिचय एवं प्रदर्शन	वीडियो ट्यूटोरियल
	बालकों द्वारा कारित अपराध की रोकथाम पर समग्र सत्र (प्लेनरी सेशन)	
	तकनीकी सत्र – I & II का वीडियो देखने के लिए QR स्कैन करें	
14:00–15:00	**लंच**	

समय	विषय	सहजकता / स्रोत व्यक्ति
15:00—15:45	**तकनीकी सत्र – III** विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से बर्ताव / व्यवहार के दृष्टिकोण : भाग 1 : अपयोजन, अभिरक्षा के विकल्प और गैर–अभिरक्षा वाले विकल्प भाग 2 : पुनर्वास और पुनर्स्थापनात्मक पहल	
	सत्र का परिचय	अध्यक्षता : **माननीय श्री न्यायमूर्ति आनंद पाठक** न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एवं सदस्य, किशोर न्याय समिति,
	भाग 1: अपयोजन, अभिरक्षा के विकल्प और गैर–अभिरक्षा वाले विकल्प विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुति बालकों द्वारा कारित अपराध की रोकथाम : प्रेरित करने वाले कारक, रोकने की रणनीतियां, चुनौतियां अपयोजन : वैचारिक समझ और विधिक स्थिति बेहतरीन पहल	**सुश्री अर्लीन मनोहरन,** एनफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट **सुश्री स्वागता राहा**, विधि विशेषज्ञ **फादर डॉ. एंथोनी सेबेस्टियन**, एको
	भाग 2: पुनर्वास और पुनर्स्थापनात्मक पहल	**फादर डॉ. एंथोनी सेबेस्टियन,** एको
	तकनीकी सत्र – III का वीडियो देखने के लिए QR स्कैन करें	
15:45—16:15	**चाय**	
16:15—17:15	विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से बर्ताव / व्यवहार के दृष्टिकोण पर समग्र सत्र का वीडियो देखने के लिए QR स्कैन करें	

समय	विषय	सहजकता / स्रोत व्यक्ति
दूसरा दिन, 27 अगस्त 2023		
10:00—11:30	**तकनीकी सत्र—IV** विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए न्याय : विधिक एवं अन्य उचित सहायता सहित निष्पक्ष सुनवाई और बाल हितैषी प्रक्रियाओं का अधिकार : कमियां, चुनौतियां एवं अनुशंसाएं	
	सत्र का परिचय	अध्यक्षता : **माननीय श्री न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह अहलूवालिया** न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एवं सदस्य, किशोर न्याय समिति,
	विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुति	**एडवोकेट अनंत अस्थाना,** किशोर न्याय पर राष्ट्रीय प्रशिक्षक
	निष्पक्ष सुनवाई और बाल हितैषी प्रक्रियाओं का अधिकार पर समग्र सत्र	
	तकनीकी सत्र – IV का वीडियो देखने के लिए QR स्कैन करें	
11.30	**चाय**	
12.00— 13:00	**तकनीकी सत्र—V** आपराधिक जिम्मेदारी की न्यूनतम उम्र और आपराधिक वयस्कता की उम्र : प्रक्रिया, चुनौतियां और प्रारंभिक निर्धारण को लेकर उभरती चिंताएं	
	सत्र का परिचय	अध्यक्षताः **माननीय श्री न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल** न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय
	मध्यप्रदेश में स्थिति	**सुश्री स्वागता राहा,** विधि विशेषज्ञ
	विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुति	**एडवोकेट अनंत अस्थाना,** किशोर न्याय पर राष्ट्रीय प्रशिक्षक
	आपराधिक जिम्मेदारी की न्यूनतम उम्र और आपराधिक वयस्कता की उम्र पर समग्र सत्र	
	तकनीकी सत्र – V का वीडियो देखने के लिए QR स्कैन करें	
13:00—14:00	**लंच**	

समय	विषय	सहजकता/स्रोत व्यक्ति
14:00–15:30	**तकनीकी सत्र–VI** विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए न्याय : प्रत्येक विषयगत सत्र के तहत मुख्य कार्य बिंदुओं के साथ मध्यप्रदेश के लिए आगामी कार्य योजना	
	सत्र का परिचय	अध्यक्षता : **माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला** न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय
	विशेषज्ञ पैनल द्वारा समग्र सत्र (प्लेनरी सेशन) का संचालन	**श्री अनंत अस्थाना** **सुश्री स्वागता राहा** **सुश्री अर्लीन मनोहरन**
	तकनीकी सत्र – VI का वीडियो देखने के लिए QR स्कैन करें	
15:30–16:30	**समापन सत्र**	
	कुछ विचार (रिफ्लेक्शन)	**यूनिसेफ**
	समापन वक्तव्य	**माननीय श्री न्यायमूर्ति आनंद पाठक** न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एवं सदस्य, किशोर न्याय समिति
	धन्यवाद ज्ञापन	**श्री समरेश सिंह** सचिव, किशोर न्याय समिति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय
	समापन समारोह का वीडियो देखने के लिए QR स्कैन करें	
16.30	**चाय और प्रस्थान**	

विमर्श की फोटो गैलरी देखने के लिए QR स्कैन करें	

परिशिष्ट–2
राज्य कार्य योजना 2023–2027 का अवलोकन

स. क्र.	आगे की जाने वाली मुख्य कार्रवाई	प्रमुख जिम्मेदारी वाले विभाग	वे विभाग जिनके साथ समन्वय किया जाना है
1.	बाल संरक्षण सेवाओं के लिए नियोजित समग्र अधोसंरचना (CI)	महिला एवं बाल विकास विभाग	वित्त, राजस्व म.प्र. उच्च न्यायालय एवं सामाजिक न्याय विभाग
2.	संसाधनों के साथ बाल हितैषी पुलिस स्टेशन	पीएचक्यू–म.प्र. पुलिस	गृह विभाग
3.	बाल संरक्षण कार्यबल का विकास	महिला एवं बाल विकास विभाग, पीएचक्यू–म.प्र. पुलिस/गृह विभाग, MPSLSA, MPSJA	म.प्र. उच्च न्यायालय, MPSLSA, स्वास्थ्य, श्रम, GAD, यूनिसेफ
4.	बाल देखरेख संस्थानों एवं बालकों के लिए आवासीय संस्थानों (महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय, जनजातीय विभाग) में देखरेख के मानकों सहित देखरेख की गुणवत्ता सुनिश्चित करना	महिला एवं बाल विकास विभाग	स्कूल शिक्षा, सामाजिक न्याय, जनजातीय, HCJJC, MPSLSA, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, स्वास्थ्य विभाग
5.	परिवार आधारित वैकल्पिक देखरेख सेवाओं (FBAC) को सुदृढ़ बनाना	महिला एवं बाल विकास विभाग	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्कूल शिक्षा, सामाजिक न्याय, श्रम, तकनीकी शिक्षा, राजस्व, MPSLSA
6.	बालकों के विरुद्ध हिंसा और बाल विवाह रोकथाम केन्द्रित किशोर सशक्तीकरण कार्यक्रम	महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा, जनजातीय विभाग, HCJJC	स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, तकनीकी शिक्षा, MPSLSA, पीएचक्यू – म.प्र. पुलिस, यूनिसेफ
7.	बालकों के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए संचार अभियान एवं रणनीतियां	महिला एवं बाल विकास विभाग, पीएचक्यू – म.प्र. पुलिस/गृह विभाग, स्कूल शिक्षा, जनजातीय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय विकास और आवास	यूनिसेफ

स. क्र.	आगे की जाने वाली मुख्य कार्रवाई	प्रमुख जिम्मेदारी वाले विभाग	वे विभाग जिनके साथ समन्वय किया जाना है
8.	गुमशुदा बालकों एवं बाल तस्करी, सड़कों पर बालकों से बालश्रम, विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों जैसी अत्यधिक संवेदनशील परिस्थितियों में बालकों की जरूरतों को पूरा करना एवं समस्याओं का समाधान करना	महिला एवं बाल विकास विभाग, गृह / पीएचक्यू – म.प्र. पुलिस, श्रम	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, MPSLSA स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
9.	बाल सुभेद्यता और हिंसा पर कार्रवाई के लिए सामुदायिक सहायता केन्द्र	महिला एवं बाल विकास विभाग, HCJJC और यूनिसेफ	MPSLSA, स्कूल शिक्षा, जनजातीय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, तकनीकी शिक्षा, गैर सरकारी संगठन
10.	जिला, विकासखंड, पंचायत एवं वार्ड स्तर पर बाल संरक्षण समितियों और अन्य सामुदायिक हितधारकों को सुदृढ़ करना	महिला एवं बाल विकास विभाग	नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पीएचक्यू– म.प्र. पुलिस
11.	मानसिक स्वास्थ्य और मनो–सामाजिक सहायता (MHPSS)	महिला एवं बाल विकास विभाग	स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा, जनजातीय विभाग एवं यूनिसेफ
12.	बालकों के लिए नशामुक्ति केन्द्र और दिव्यांग बालकों के लिए घर	सामाजिक न्याय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, गृह विभाग	
13.	पश्चातवर्ती देखरेख सेवाओं (आफ्टर केयर) को सुदृढ़ करना	महिला एवं बाल विकास विभाग	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार
14.	मध्यप्रदेश राज्य बाल संरक्षण नीति 2020	महिला एवं बाल विकास विभाग	स्कूल शिक्षा, जनजातीय, स्वास्थ्य, पीएचक्यू– म.प्र. पुलिस
15.	किशोर न्याय कोष	महिला एवं बाल विकास विभाग	
16.	बाल संरक्षण सेवाओं और प्रणाली की समीक्षा, कंवर्जेंस और समन्वय	महिला एवं बाल विकास विभाग, विधि और विधायी कार्य विभाग	श्रम, गृह, म.प्र. उच्च न्यायालय, MPSJA

स. क्र.	आगे की जाने वाली मुख्य कार्रवाई	प्रमुख जिम्मेदारी वाले विभाग	वे विभाग जिनके साथ समन्वय किया जाना है
17.	बाल संरक्षण पर साक्ष्य (CP-MIS)	महिला एवं बाल विकास विभाग	म.प्र. उच्च न्यायालय, गृह विभाग एवं यूनिसेफ
18.	पॉक्सो अधिनियम के तहत सहयोग एवं पुनर्वास को सुदृढ़ करना	महिला एवं बाल विकास विभाग, MPSLSA एवं MPSJA	यूनिसेफ
19.	पॉक्सो मामलों में फोरेंसिक और मेडिकल जांच को सुदृढ़ करना	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गृह विभाग	महिला एवं बाल विकास विभाग, यूनिसेफ
20.	पॉक्सो मामलों में जांच को सुदृढ़ करना	गृह / पीएचक्यू– म.प्र. पुलिस	यूनिसेफ

विस्तृत राज्य कार्य योजना 2023–2027
को डाउनलोड करने के लिए QR स्कैन करें

परिशिष्ट–3
विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की परिस्थिति का विश्लेषण

आंकड़ों का स्त्रोत

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भेजे गए टेम्पलेट के आधार पर मध्यप्रदेश जेजेबी और एमपीएसएलएसए का आंकड़ा (2019–जून 2023)

2. मध्यप्रदेश एससीआरबी आंकड़ा (2019–2022)

मध्यप्रदेश में बच्चों द्वारा कारित अपराध का अवलोकन

सीआईसीएल के विरुद्ध पंजीकृत मामलों की कुल संख्या

एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, 2019–21 तक भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में मध्यप्रदेश में सबसे अधिक सीआईसीएल केस दर्ज की गई हैं।

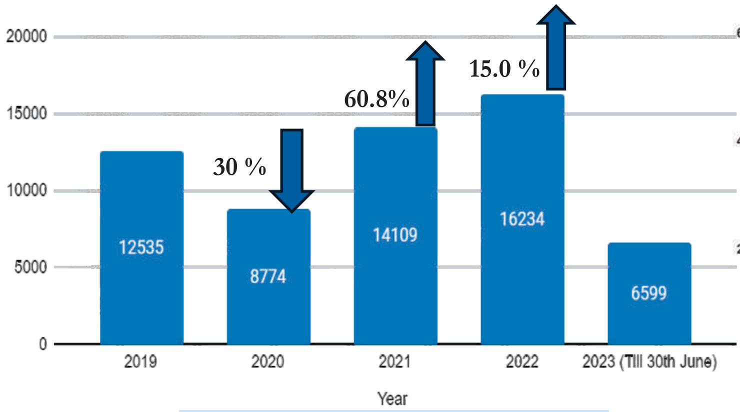

स्रोतः म.प्र. जेजेबी द्वारा साझा किया गया आंकड़ा (2019 – जून 2023)

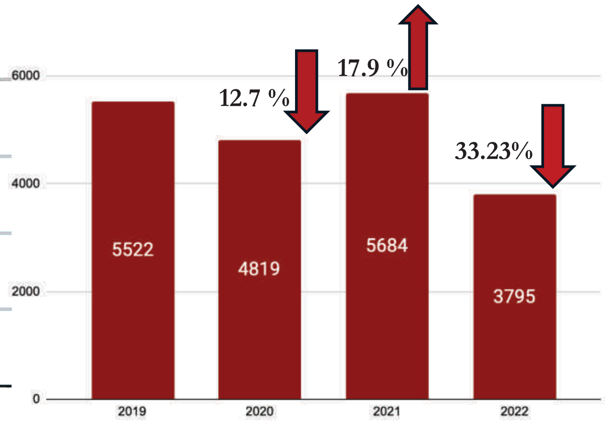

स्रोतः एससीआरबी (2019–2022) – सीआईडी पीएचक्यू द्वारा विमर्श में प्रस्तुत आंकड़ा

एससीआरबी के अनुसार सीआईसीएल के विरुद्ध दर्ज कुल मामले और जेजेबी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में अंतर है।

उन मामलों की प्रकृति जिनमें सीआईसीएल शामिल हैं

	छोटे		गंभीर		जघन्य	
वर्ष	पुलिस का आंकड़ा	किशोर न्याय बोर्ड का आंकड़ा	पुलिस का आंकड़ा	किशोर न्याय बोर्ड का आंकड़ा	पुलिस का आंकड़ा	किशोर न्याय बोर्ड का आंकड़ा
2019	5483	6104	3669	4752	1477	1679
2020	4629	4109	2739	3298	1187	1367
2021	6528	6786	4509	5719	1510	1604
2022	7206	7552	5065	6794	1741	1888
जून 2023 तक	2993	2971	2123	2770	684	858

पुलिस और जेजेबी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार छोटे, गंभीर और जघन्य मामलों की संख्या में अंतर देखा गया है जिनमें सीआईसीएल शामिल हैं। एक स्पष्टीकरण यह हो सकता है कि पुलिस का आंकड़ा एफआईआर पर आधारित है, जबकि जेजेबी के आंकड़ों में ऐसे मामले भी शामिल हो सकते हैं जिनमें एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, लेकिन बच्चे को जेजेबी के सामने पेश किया गया था।

स्रोतः जिला पुलिस का आंकड़ा (विमर्श में प्रस्तुत) और म.प्र. जेजेबी द्वारा साझा किया गया आंकड़ा (2019 – जून 2023)

छोटे अपराध
(अधिकतम सजा 3 वर्ष तक कारावास है)

गंभीर अपराध
(3–7 वर्ष के बीच कारावास; अधिकतम >7 वर्ष लेकिन कोई न्यूनतम नहीं या न्यूनतम <7 वर्ष से कम)

जघन्य अपराध
(न्यूनतम सजा 7 वर्ष कारावास या अधिक है)

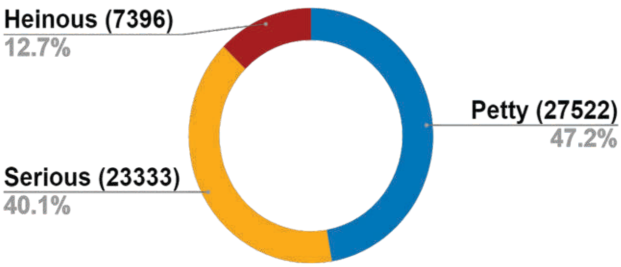

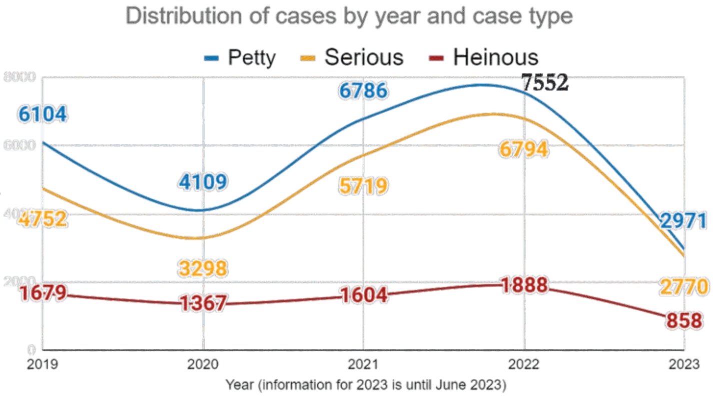

स्रोतः म.प्र. जेजेबी (2019 – जून 2023)

भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत अपराधों की प्रकृति

कुल मामलों पर आवश्यक आंकड़ा जिसमें कोई वयस्क शामिल था; बलात्कार और अपहरण के अंतर्गत ''रोमांटिक'' मामलों का अनुपात

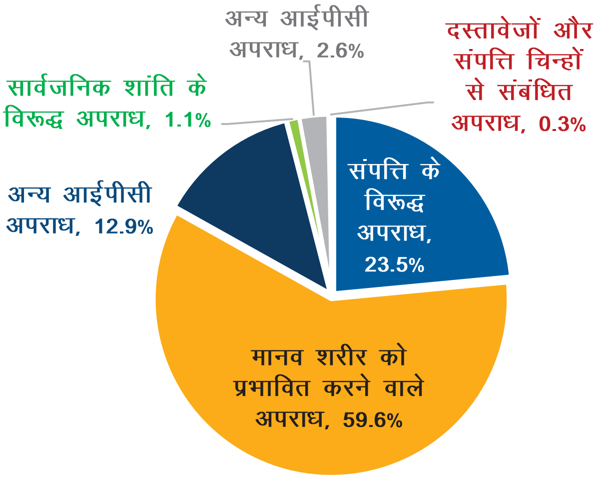

स्त्रोत : एससीआरबी (2019–2022)

आईपीसी के तहत सीआईसीएल के विरूद्ध दर्ज शीर्ष 10 अपराध					
	2019	2020	2021	2022	कुल
चोट	1586	1693	1630	1096	6005
चोरी	700	592	667	440	2399
सेंधमारी	324	309	276	267	1176
महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाने के इरादे से उन पर हमला	348	293	243	140	1024
बलात्कार	295	27	280	237	839
सार्वजनिक रास्ते पर खतरनाक ड्राइविंग	244	138	340	106	828
अपहरण और बंधक बनाना	176	165	215	153	709
हत्या करने का प्रयास	128	144	140	153	565
आपराधिक धमकी	183	183	48	103	517
सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकतें और गाने	193	71	106	139	509

अपराधों की प्रकृति – विशेष और स्थानीय कानून

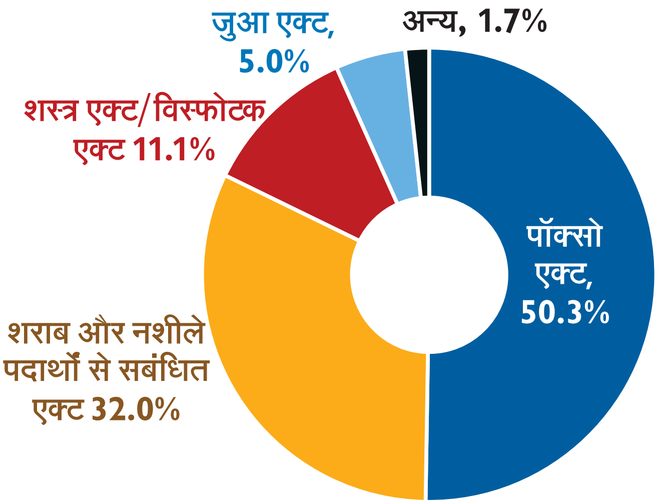

स्त्रोत : एससीआरबी (2019–2022)

2019–2022 तक 3008 एसएलएल अपराधों में से कुल 1512 (50.3%) पॉक्सो अधिनियम के तहत थे, इसके बाद 842 मामले उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत थे।

निम्न पर आंकड़ों की आवश्यकता है :

(क) पॉक्सो के तहत उन मामलों का प्रतिशत जो **घर छोड़ने से संबंधित हैं या ''रोमांटिक'' मामले हैं।**

(ख) सीआईसीएल के विरुद्ध उत्पाद शुल्क अधिनियम एवं एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रावधान और **क्या जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 77, 78 एवं 83 के प्रावधान भी** बच्चों का उपयोग करने वाले वयस्कों के विरुद्ध लागू किए जाते हैं।

(ग) कुल मामलों की संख्या जिनमें कोई **वयस्क शामिल था।**

सीआईसीएल मामलों में परिणाम

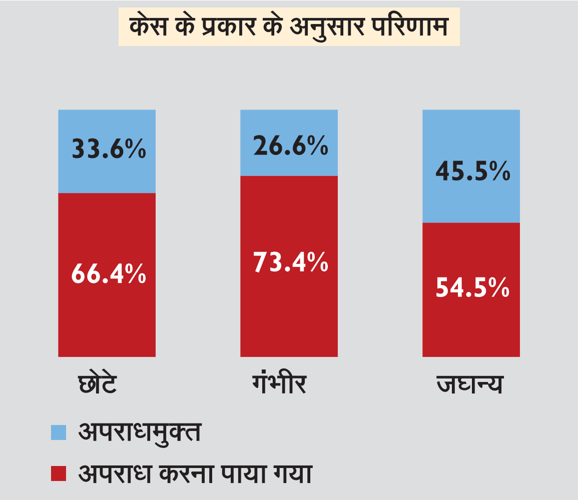

स्रोत: म.प्र. जेजेबी (2019 – जून 2023)

सीपीएमआईएस की आवश्यकता		
आँकड़ों के वर्ष	दोष सिद्धी दर (जेजेबी)	दोष सिद्धी दर (एससीआरबी)
2021	65.3%	96.1%
2022	70.4%	86 %

बच्चों द्वारा कारित अपराध की रोकथाम से संबंधित आंकड़े

सीआईसीएल की प्रोफाइल

सीआईसीएल की लैंगिक प्रोफाइल

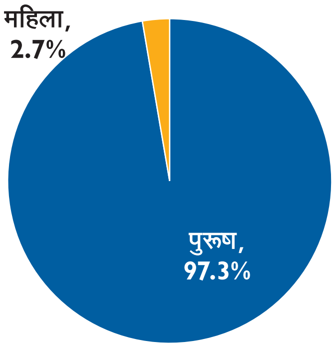

स्रोत: म.प्र. जेजेबी (2019 – जून 2023)

सीआईसीएल की शैक्षणिक प्रोफाइल

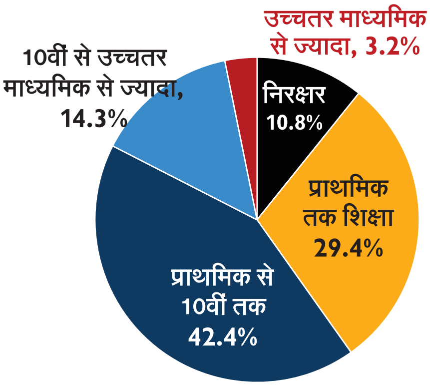

स्रोत: एससीआरबी (2020 – 2022)

सीआईसीएल की पारिवारिक पृष्ठभूमि

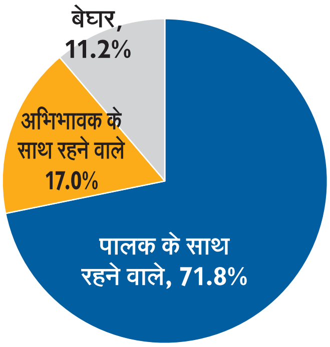

स्रोत: एससीआरबी (2020 – 2022)

सीआईसीएल की आयु प्रोफाइल

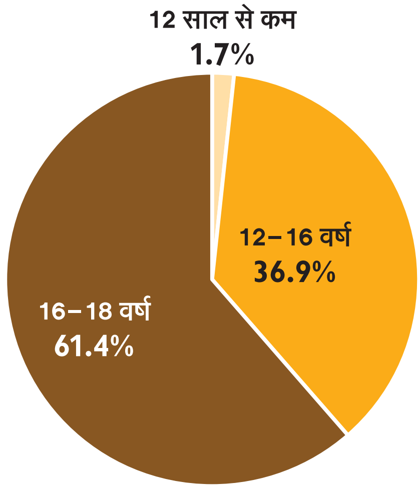

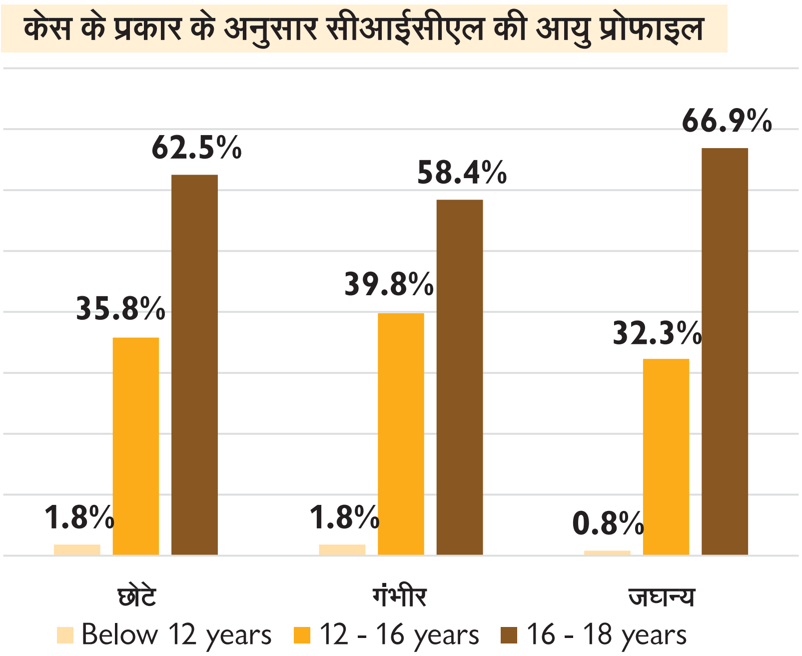

स्रोत: म.प्र. जेजेबी (2019 – जून 2023)

अपयोजन (डायवर्जन), अभिरक्षा के विकल्प और गैर–अभिरक्षा वाले विकल्प

अपयोजन की संभावना : पहली बार अभिरक्षा में लिए गए बच्चे

वर्ष	अभिरक्षा में लिए गए सीआईसीएल की कुल संख्या (आईपीसी और एसएलएल)	पहली बार अभिरक्षा में लिए गए सीआईसीएल (आईपीसी और एसएलएल)
2020	5497	5309 (96.6%)
2021	6397	5514(86.2%)

स्रोत: एससीआरबी रिपोर्ट (2020–2021), टेबल्स ''मध्यप्रदेश में आईपीसी और एसएलएल के तहत अभिरक्षा में लिए गए बच्चों के केस का निपटान'' और ''अभिरक्षा में लिए गए बच्चों में अपराध का दोहराव (आईपीसी़एसएलएल)''

नोट : अंतर्राष्ट्रीय मानकों में अपयोजन को पहली बार अपराध करने वाले बच्चों तक सीमित करने या केवल छोटे मामलों में इसके आवेदन की परिकल्पना नहीं की गई है और सीआरसी ने भी राज्यों से आग्रह किया है कि "अपराधों की संख्या की सीमा को लगातार बढ़ाएं जिनके लिए अपयोजन संभव है, जिसमें गंभीर अपराध भी शामिल हैं, जहां उपयुक्त हो।" (जीसी 24)

नियम 10(1), जेजे आदर्श नियम : यदि मामला निराधार या छोटा है तो जेजेबी पहली उपस्थिति में मामले का निपटान कर सकता है

	छोटे	गंभीर	जघन्य
नियम 10(1) के तहत निपटाए गए मामलों की संख्या (2019 से जून 2023 तक)	1543 कुल छोटे मामलों का 5.6 %	506 कुल गंभीर मामलों का 2.1 %	276 कुल जघन्य मामलों का 3.7 %

स्रोत: म.प्र. जेजेबी (2019 – जून 2023)

नियम 8(1), जेजे आदर्श नियमों का अनुपालन : केवल जघन्य अपराधों में ही अभिरक्षा में लिया जाना चाहिए, जब तक कि यह बच्चे के सर्वोत्तम हित में न हो

पुलिस से आंकड़ों की आवश्यकता है – निम्न की कुल संख्या

(क) पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लिए गए बच्चे

(ख) बच्चों को अभिरक्षा में नहीं लिया गया लेकिन जेजेबी के सामने उन्हें पेश होने का निर्देश दिया गया

(ग) छोटे और गंभीर मामलों की संख्या जिनमें (1) एफआईआर दर्ज की गई थी (2) मामला सामान्य दैनिक डायरी में दर्ज किया गया था

(घ) प्रस्तुत किए जा रहे एसबीआर की संख्या

कुल रिपोर्ट किए गए मामलों में से अभिरक्षा में लिए गए सीआईसीएल का प्रतिशत

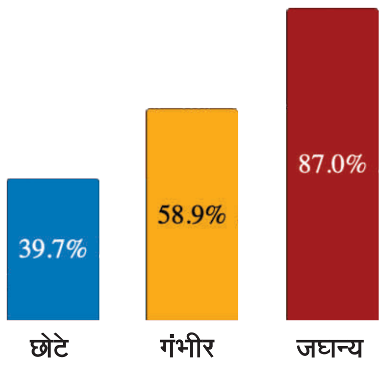

स्रोत: म.प्र. जेजेबी (2019 – जून 2023)

धारा 3(xii) का अनुपालन : अंतिम आश्रय के रूप में संस्थागतकरण का सिद्धांत

अभिरक्षा में लिए गए कुल सीआईसीएल का प्रतिशत और अभिरक्षा में लिए गए सीआईसीएल की कुल संख्या में से ओएच/पीओएस भेजे गए की संख्या

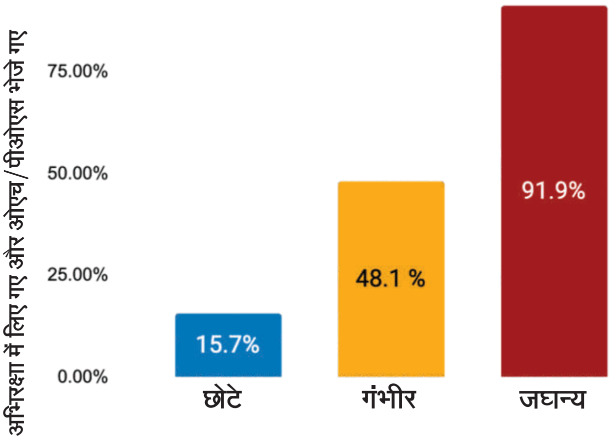

केस के प्रकार के अनुसार अभिरक्षा में लेकर ओएच/पीओएस भेजे गए सीआईसीएल की संख्या

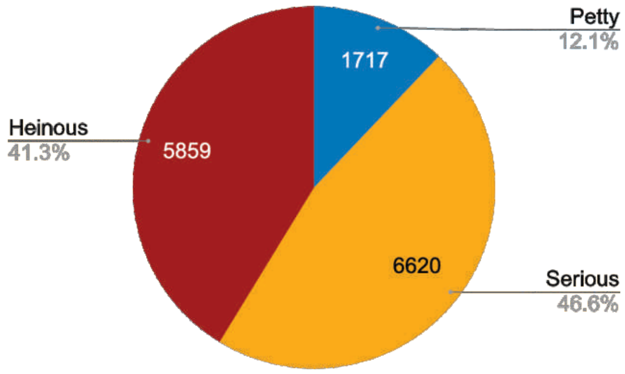

स्रोत: म.प्र. जेजेबी (2019 – जून 2023)

धारा 12, जेजे अधिनियम : जमानत का नियम है और केवल विशिष्ट आधार पर ही इनकार किया जाना चाहिए

केस के प्रकार का प्रतिशत, जिनमें सीआईसीएल को जमानत दी गई (रिपोर्ट किए गए मामलों की कुल संख्या में से)

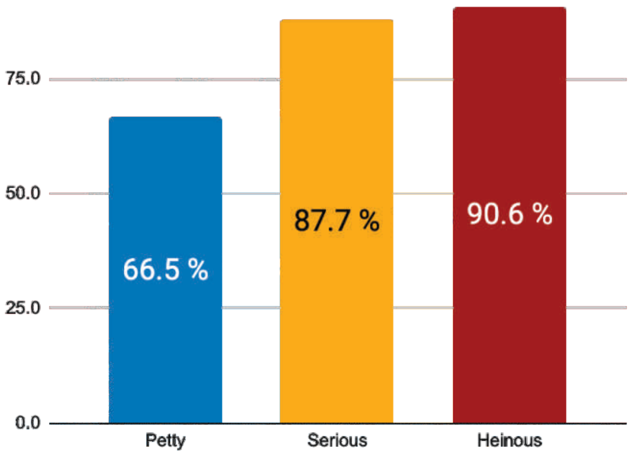

स्रोत: म.प्र. जेजेबी (2019 – जून 2023)

निम्न की कुल संख्या पर आंकड़ों की आवश्यकता है –

1. पुलिस द्वारा कितने बच्चों को जमानत दिया गया
2. जेजेबी द्वारा कितने बच्चों को जमानत देने से इनकार कर दिया गया
3. जमानत की शर्तों को पूरा करने में असमर्थता के कारण जमानत दिए जाने के बावजूद 7 दिनों से अधिक समय तक ओएच में रहने वाले बच्चों की संख्या।
4. ऐसे केसों की संख्या, जहां जमानत याचिका लंबित है।

नोट : उन मामलों में जमानत का सवाल ही नहीं उठता होगा, जिनका निपटान पहली सुनवाई में हो गया हो या जिन मामलों में बच्चा नहीं मिला हो/अता–पता न चल रहा हो।

संस्थागतकरण लंबित जांच : एक अपवाद?

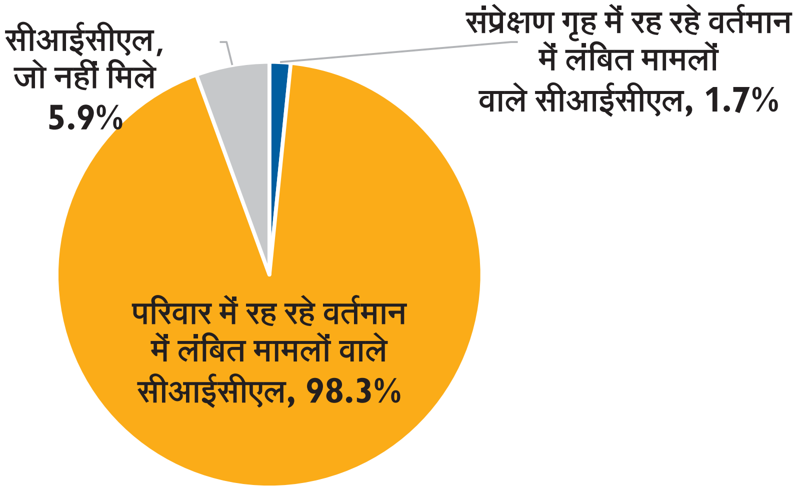

स्रोत: म.प्र. जेजेबी (2019 – जून 2023)

संस्थागत और गैर–संस्थागत प्रबंधन की प्रकृति

विशेष गृह में भेजने, जुर्माना और सलाह/चेतावनी के संबंध में प्राप्त आंकड़ों में असमानता

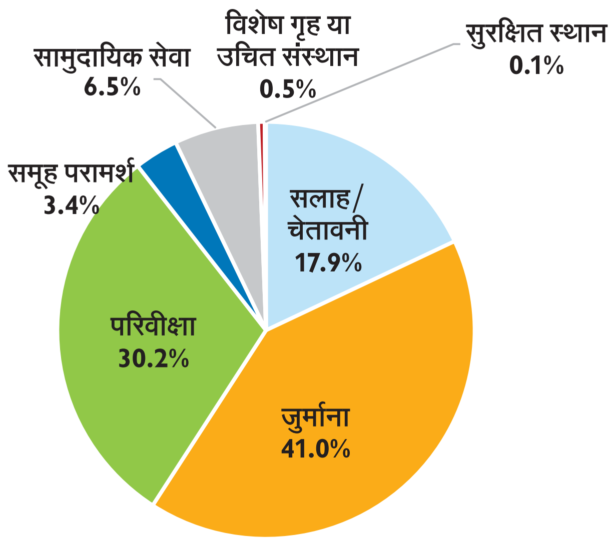

स्रोत: म.प्र. जेजेबी (2019 – जून 2023)

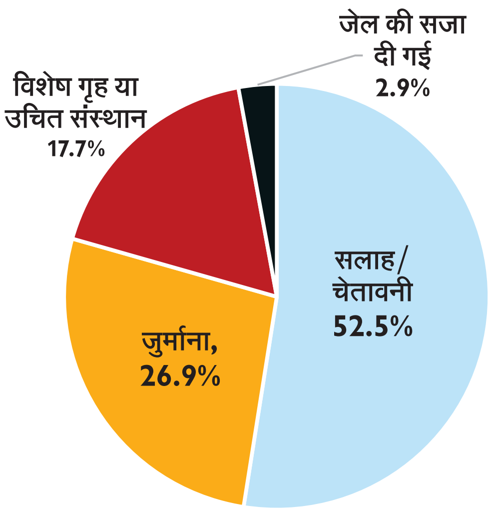

स्त्रोत : मध्य प्रदेश एससीआरबी (2019–2021)

केस के प्रकार के अनुसार प्रबंधन

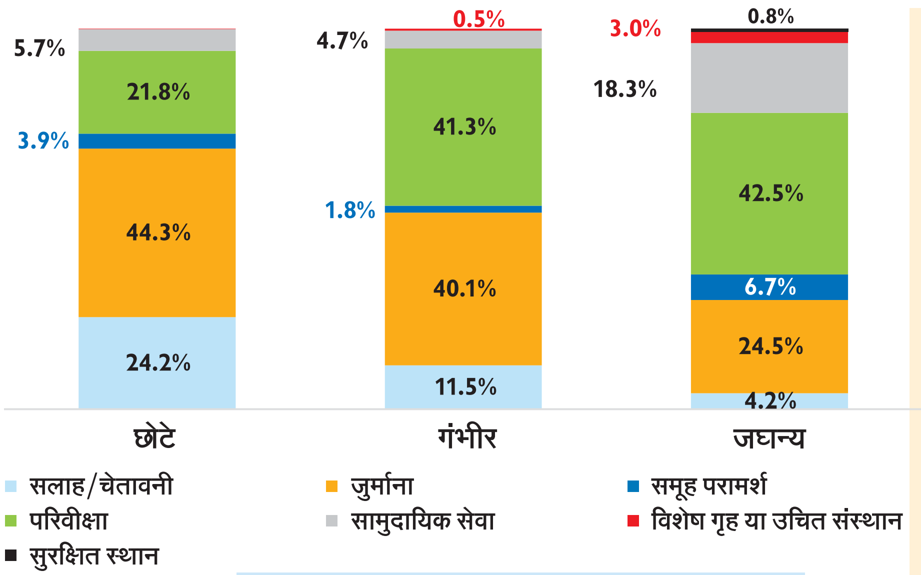

स्रोत: म.प्र. जेजेबी (2019 – जून 2023)

- सभी प्रकार के मामलों में गैर–संस्थागत विकल्प नियम थे।
- सभी प्रकार के मामलों में आमतौर पर परिवीक्षा पर रिहाई और जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया।
- **सामुदायिक सेवा और समूह परामर्श** का आदेश कम है।
- **समूह परामर्श की प्रकृति एवं अवधि** पर जानकारी की जरूरत है
- धारा 18(2), जेजे एक्ट, 2015 के तहत प्रबंधन पर भी आंकड़ा एकत्र करने की आवश्यकता है।

विधि के उल्लंघन में पाए गए बच्चों की अभिरक्षा की अवधि

छोटे मामलों में अभिरक्षा की अवधि	
अभिरक्षा की अवधि	मामलों का प्रतिशत
< 1 महीना	95.1%
1 महीना - < 6 महीना	4.6%
6 महीने – 1 वर्ष से कम	0.2%
1 वर्ष – 2 वर्ष से कम	0.1%
2 वर्ष और उससे अधिक	0.1%

गंभीर मामलों में अभिरक्षा की अवधि	
अभिरक्षा की अवधि	मामलों का प्रतिशत
< 1 महीना	83.4%
1 महीना - < 6 महीना	11.4%
6 महीने – 1 वर्ष से कम	2.0%
1 वर्ष – 2 वर्ष से कम	1.3%
2 वर्ष और उससे अधिक	1.9%

जघन्य मामलों में अभिरक्षा की अवधि	
अभिरक्षा की अवधि	मामलों का प्रतिशत
< 1 महीना	71.6%
1 महीना - < 6 महीना	17.3%
6 महीने – 1 वर्ष से कम	4.8%
1 वर्ष – 3 वर्ष से कम	4.8%
3 वर्ष और उससे अधिक	1.5%

स्रोत: म.प्र. जेजेबी (2019 – जून 2023)

पुनर्वास के लिए प्रासंगिक आंकड़े

ओएच/एसएच/सुरक्षित स्थान में बच्चों के लिए पुनर्वास सेवाएं

स्रोत: म.प्र. जेजेबी (2019 – जून 2023)

2019– जून 2023 तक :

- **14469 सीआईसीएल को पुनर्वास सेवाएं प्रदान की गईं, जिनमें से 14017 लड़के, 444 लड़कियां और 8 ट्रांसजेंडर सीआईसीएल थे।**
- **14932 सीआईसीएल का ''सफलतापूर्वक'' पुनर्वास किया गया।**

शिक्षा

- **संप्रेक्षण गृह :** 708 बच्चों को शैक्षणिक सेवाओं से जोड़ा गया
- **विशेष गृह :** विशेष गृह में रहने वाला एक सीआईसीएल शैक्षणिक सेवाओं से जुड़ा था
- **सुरक्षित स्थान :** सुरक्षित स्थान पर 35 सीआईसीएल शैक्षणिक सेवाओं से जुड़े थे
- **ओएच/एसएच/पीओएस में सीआईसीएल की कुल संख्या, उनकी आयु और शैक्षणिक स्थिति पर आंकड़ों की आवश्यकता है**

व्यक्तिगत देखभाल योजना

- **निरीक्षण गृह :** 835 सीआईसीएल के आईसीपी था
- **विशेष गृह :** विशेष गृहों में रहने वाले एक सीआईसीएल का आईसीपी था
- **सुरक्षित स्थान:** सुरक्षित स्थान के 12 सीआईसीएल आईसीपी वाले हैं
- **आईसीपी की गुणवत्ता और क्रियान्वयन पर जानकारी की आवश्यकता है**

सामाजिक जांच रिपोर्ट

- **सीआईसीएल से पीओ/सामाजिक कार्यकर्ता अनुपात की जांच की जानी चाहिए**
- **प्रस्तुत किए जा रहे एसआईआर और उनकी गुणवत्ता** पर आंकड़ा एकत्र करने की आवश्यकता है।

विधिक एवं अन्य उचित सहायता सहित निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार और बाल हितैषी प्रक्रियाओं से संबंधित आंकड़ें

विधि का उल्लंघन करने वाले 319 को वयस्क न्यायालय से जेजेबी में स्थानांतरित कर दिया गया यह मानते हुए कि अपराध के दौरान वे नाबालिग थे।

धारा 14(2) और 14(3) : जेजेबी द्वारा पूछताछ समयबद्ध होनी चाहिए

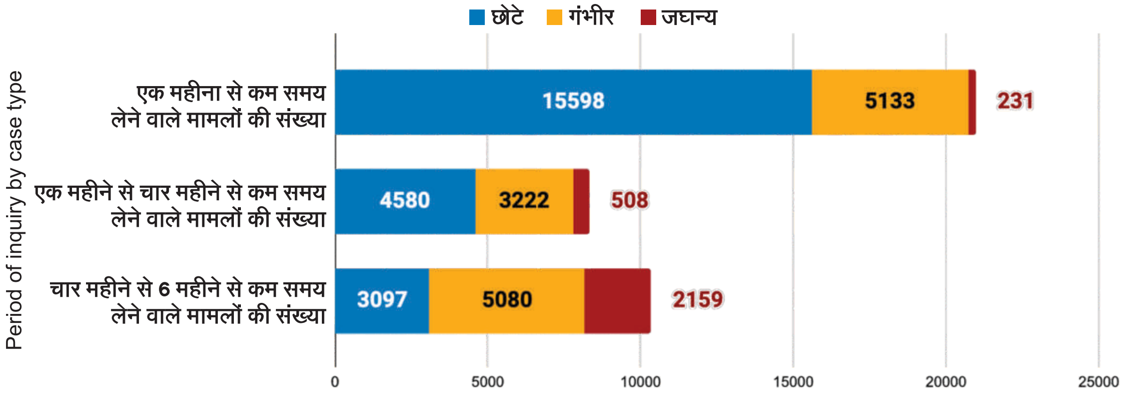

स्रोत: म.प्र. जेजेबी (2019 – जून 2023)

उन मामलों की जानकारी नहीं है, जिनके निपटान में 6 महीने से अधिक समय लगा है। जेजेबी द्वारा पूछताछ की अवधि को समझने, उसके पूरा होने में देरी के कारणों की पहचान करने और उपयुक्त हस्तक्षेप पर विचार करने के लिए इस बिंदु पर आंकड़ों की आवश्यकता है।

धारा 14(4), जेजे एक्ट: यदि बढ़ाई गई अवधि के बाद भी जांच अनिर्णीत रहती है तो छोटे अपराधों में कार्यवाही समाप्त कर दी जाएगी

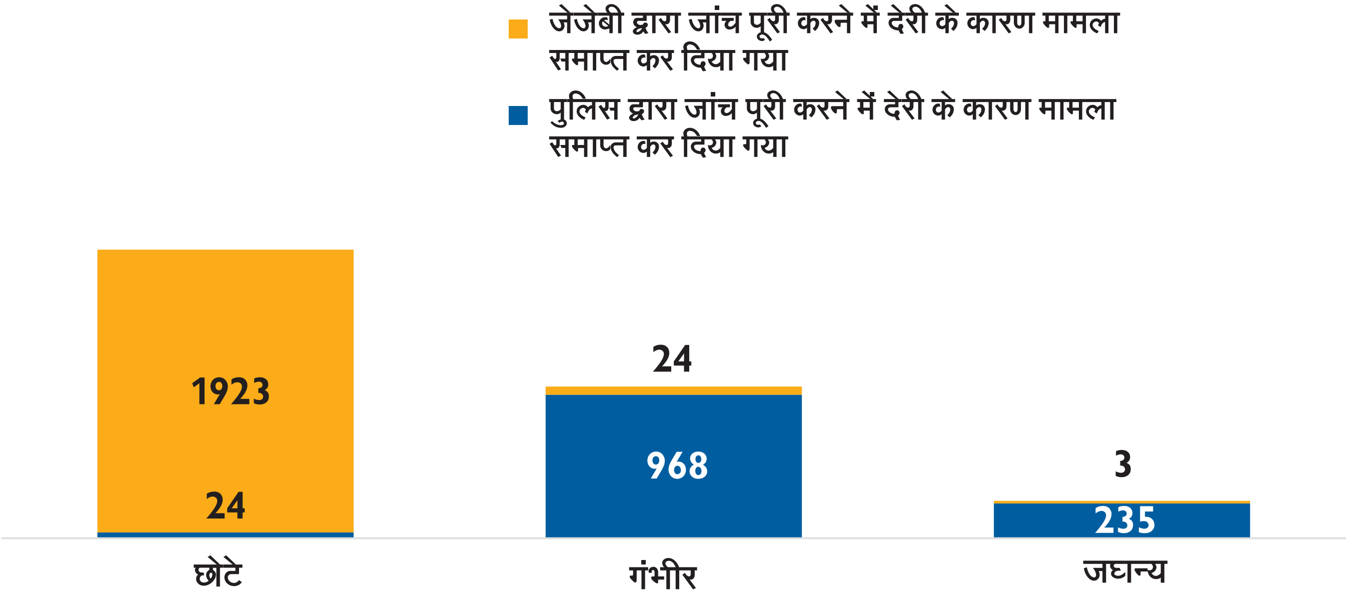

स्रोत: म.प्र. जेजेबी (2019 – जून 2023)

जेजेबी के समक्ष लंबित मामले

वर्ष	छोटे	गंभीर	जघन्य	कुल
2019	336	1027	726	2089
2020	450	1020	678	2148
2021	590	1795	863	3248
2022	730	2203	999	3932
2023 (जून)	582	1565	601	2748

स्रोत: म.प्र. जेजेबी (2019 – जून 2023)

धारा 8(3)(सी) : विधि सेवा संस्थानों के माध्यम से विधिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए जेजेबी का दायित्व

	विधिक सहायता प्रदान की गई
2019	17.5%
2020	18.7%
2021	17.9%
2022	15.2%
2023 (जून तक)	15.7%
कुल	**16.9%**

स्रोत: म.प्र. जेजेबी (2019 – जून 2023)

- केवल 16.9 फीसदी **बच्चों को मुफ्त विधिक सेवाएं प्रदान की गईं, जिनमें** से 14.8 फीसदी को जेजेबी के समक्ष पूछताछ के दौरान निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त हुईं, और 2.1 फीसदी को **बाल न्यायालयों के समक्ष परीक्षण के दौरान निःशुल्क विधिक** सेवाएं प्राप्त हुईं ।
- **सभी वर्षों में अपील स्तर पर विधिक सहायता का उपयोग नहीं किया गया**, जिससे अपील के लिए विधिक सहायता तक सीआईसीएल की पहुंच को लेकर चिंताजंनक स्थिति है।

आपराधिक जिम्मेदारी की न्यूनतम उम्र एवं आपराधिक वयस्कता की उम्र और प्रारंभिक निर्धारण से संबंधित आंकड़ा

आपराधिक उत्तरदायित्व की न्यूनतम उम्र

- 2019 से जून 2023 तक 12 साल से कम उम्र के 972 सीआईसीएल के विरुद्ध मामले सामने आए। **जेजेबी द्वारा ऐसे मामलों को कैसे निपटाया गया है,** इसके बारे में जानकारी की आवश्यकता है ।
- इस बात की भी जानकारी चाहिए **कि क्या 7 साल से कम उम्र के बच्चों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं** और पुलिस ने 7 साल से कम उम्र के बच्चों के विरुद्ध मामलों का कैसे निपटान किया है या उसे कैसे निपटाएगी।

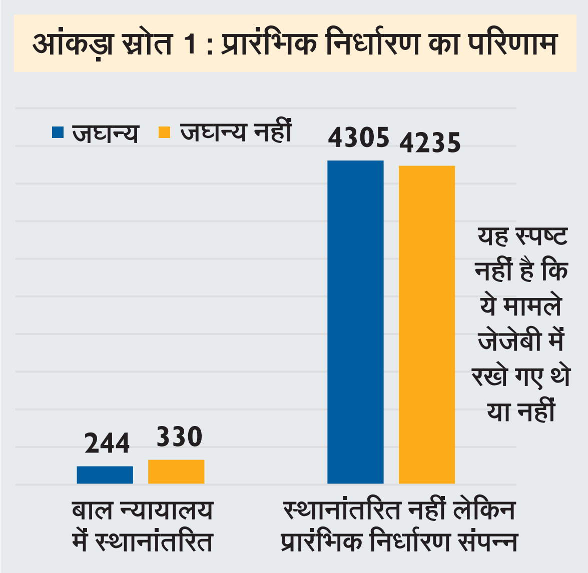

स्रोत: म.प्र. जेजेबी (2019 – जून 2023)

जघन्य आंकड़ा स्रोत 1 : बाल न्यायालय में स्थानांतरित बच्चों की कुल संख्या	574
आंकड़ा स्रोत 2 : बाल न्यायालय में स्थानांतरित बच्चों की कुल संख्या	209

- इस पर जानकारी की आवश्यकता है कि क्या प्रारंभिक निर्धारण छोटे और गंभीर अपराधों में किया जा रहा है?
- जघन्य मामलों की तुलना में गैर-जघन्य मामले अधिक स्थानांतरित किए गए, जबकि धारा 15 केवल जघन्य अपराधों में पीए को अनिवार्य करती है-आंकड़ों की सटीकता की जांच की जानी चाहिए।

बाल न्यायालय को हस्तांतरित मामलों की स्थिति

आंकड़ा स्रोत 1 : बाल न्यायालय को हस्तांतरित मामलों की स्थिति

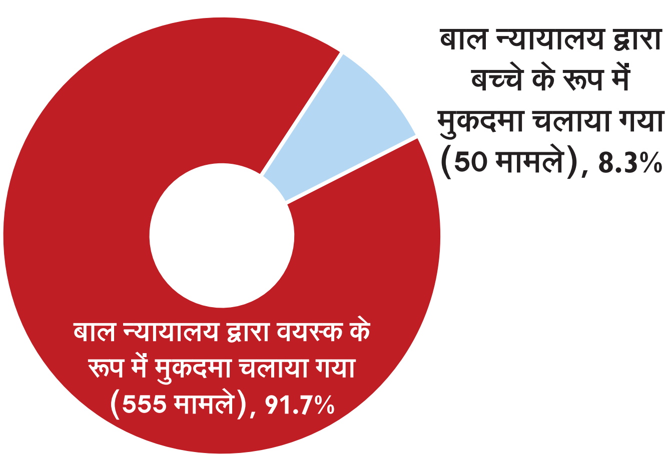

आंकड़ा स्रोत 2 : बाल न्यायालय को हस्तांतरित मामलों की स्थिति

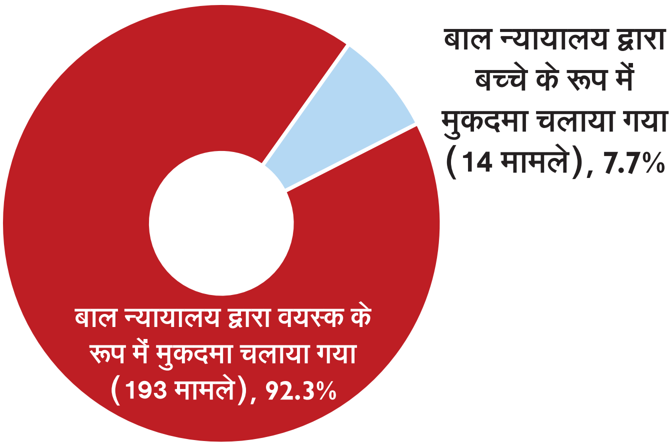

स्रोत: म.प्र. जेजेबी (2019 – जून 2023)

फोटो गैलरी

Blank

विमर्श: बाल संरक्षण पर राज्य स्तरीय परामर्श

उद्घाटन सत्र

unicef
for every child
State Consultation on Child Protection
"विमर्श"
26th & 27th August, 2023
Chief Guest
Hon'ble Shri Justice Ravi Malimath
Chief Justice,
High Court of Madhya Pradesh
Venue
Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur
"विमर्श"
26th & 27th August, 2023

तकनीकी सत्र–1

HON'BLE SHRI JUSTICE
ANAND PATHAK
"विमर्श"

State Consultation on Child Protection
"विमर्श"

तकनीकी सत्र–2

तकनीकी सत्र–3

State Consultation on Child Protection
“विमर्श”
Chief Guest
Hon'ble Shri Justice Ravi Malimath
Chief Justice,
High Court of Madhya Pradesh
“विमर्श”
26th & 27th August, 2023

“विमर्श”

तकनीकी सत्र–4

तकनीकी सत्र–5

प्रश्नोत्तर सत्र

बाल संरक्षण पर सांस्कृतिक कार्यक्रम

समापन सत्र

सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रतिभागियों हेतु पुरस्कार वितरण

सचिवालय, किशोर न्याय समिति
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
जबलपुर